पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाऊस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110 008

मुख्य संरक्षक

श्री डी. पी. सिंह, *आई.ए.एस.*
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री एम. के. जैन एवं श्री के. के. साँसी
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री आर. सी. नारायण
महाप्रबंधक

संपादक व प्रकाशक

डॉ. चरनजीत सिंह
मुख्य प्रबंधक
प्रभारी राजभाषा

संपादक मंडल

श्री कंवर अशोक
वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

श्रीमती शिल्पी सिन्हा, श्री सोनी कुमार
सुश्री मोनिका गुप्ता
राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

राजभाषा अंकुर में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : **मोहन प्रिंटिंग प्रेस**
5/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 फोन : 98100 87743

जुलाई-सितंबर 2013

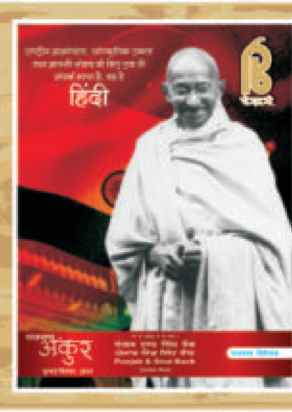

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	गृह-मंत्री - संदेश	2
3.	वित्त-मंत्री - संदेश	3
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - संदेश	4
5.	कार्यकारी निदेशक - संदेश	5
6.	कार्यकारी निदेशक - संदेश	6
7.	संपादकीय	7
8.	आपकी कलम से	8
9.	वार्षिक कार्यक्रम - 2013-14	9
10.	हिंदी भाषा का विस्तार एवं विकास	10
11.	राजभाषा हिंदी के विकास में प्रयोजनमूलक हिंदी का योगदान	12
12.	राजभाषा कार्यान्वयन में वृद्धि के उपाय	14
13.	राजभाषा अंकुर (यादों के झरोखे से)	16
14.	राजभाषा अंकुर विशेषांक का विमोचन	17
15.	समाचार-वाचन प्रतियोगिता	18
16.	कार्यकारी निदेशक महोदय का मोगा का निरीक्षण दौरा	19
17.	संसदीय राजभाषा समिति-निरीक्षण	20
18.	संसदीय राजभाषा समिति - साक्ष्य उप समिति	21
19.	हिंदी पखवाड़ा	22
20.	राजभाषा प्रर्दशनियाँ	24
21.	राजभाषा अधिकारी सम्मेलन	25
22.	काव्य - मंजूषा	26
23.	हिंदी-पंजाबी कार्यशालाएँ	28
24.	विभिन्न आ. का. का का. नि. द्वारा निरीक्षण	30
25.	कार्यालयीन पत्राचार	32
26.	बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन	34
27.	हमें इन पर गर्व है	37
28.	राजभाषा कार्यान्वयन में मा. सा. वि. विभाग की भूमिका	38
29.	भारत माँ के भाल की बिंदी	40
30.	हिंदुस्तान की शान है हिंदी	41
31.	बैंकों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की विशेष मदें	43
32.	गतिविधियाँ	44

सत्यमेव जयते

सुशील कुमार शिंदे
SUSHIL KUMAR SHINDE
गृह-मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

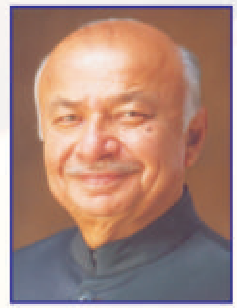

संदेश

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भारत की सभ्यता और भाषायी संस्कृति की जड़ें गहरी हैं और ये विविध संस्कृतियों के सम्मिश्रण से गुज़रकर सदियों से विकसित हुई हैं। भाषायी विविधता एवं बहुआयामी संस्कृति के बावजूद राजभाषा हिंदी ने देश के स्वंतत्रता आंदोलन से लेकर आज तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की धारणा को पुष्ट किया है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावी माध्यम है।

विश्व के सभी प्रमुख विकसित एवं विकासशील देश अपनी-अपनी भाषाओं में ही अपना सरकारी कामकाज करके उन्नत हुए हैं। हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा हिंदी के प्रति जनता और सरकारी तंत्र दोनों को अधिक से अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है।

हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिंदी में टिप्पण तथा पत्राचार को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जाए। वास्तविकता में हिंदी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि भाषा को सरल एवं सहज रूप में लिखा जाए ताकि हिंदी जानने वाले तथा हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों द्वारा यह आसानी से समझी जा सके तथा अपनाई जा सके।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है ताकि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों द्वारा सुलभ संदर्भ के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रशासनिक शब्दावली को अभिव्यक्ति के सरल रूपों का प्रयोग करते हुए उन्नत किया जा सके। इस समिति का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्राह्य रूप में भाषा की सुविज्ञता के उद्देश्य के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण होगी।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। राजभाषा विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से अब कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना अधिक सुविधाजनक एवं सरल हो गया है और इसके लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में राजभाषा विभाग ने वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सभी कंप्यूटर उपकरणों में हिंदी में काम करने की सुविधा हो। विभाग द्वारा अन्य उपायों के अलावा हिंदी में मूल पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए कई पुरस्कार योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

मैं सभी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों एवं कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग, गृह - मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रुचि लें और स्वयं हिंदी में कार्य करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आइए, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी उत्साहपूर्वक और गर्व के साथ अपना कार्य हिंदी में करेंगे और राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। मुझे पूरा यक़ीन है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रयोग को अभूतपूर्व नए आयाम देंगे।

जय हिंद!

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2013

(सुशील कुमार शिंदे)

पी. चिदम्बरम
P. CHIDAMBARAM

सत्यमेव जयते

वित्त-मंत्री
भारत
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

हिंदी - दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हम सबको एक बहुभाषी देश का नागरिक होने पर गर्व है। हिंदी विश्व की सर्वाधिक प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक है। साथ ही साथ एक संपर्क भाषा की भूमिका निभाते हुए हिंदी हमारे विविधतापूर्ण देश को एकसूत्र में बांधती है। हिंदी और समस्त भारतीय भाषाएं शासन-तंत्र और जनता के बीच सेतु का काम करते हुए अधिकाधिक जन-भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।

आइए, हिंदी दिवस के अवसर पर हम आज एक संकल्प लें कि सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने के साथ-साथ हम हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे।

मैं, वित्त - मंत्रालय, इसके सभी सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों और विनियामक निकायों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

(पी. चिदम्बरम)

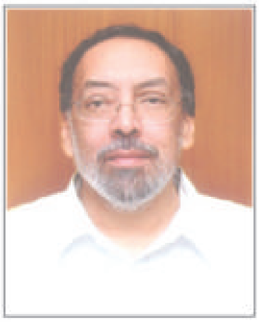

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
का संदेश

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के 'राजभाषा विशेषांक' के संदेश के माध्यम से आप से दो बातें करने का अवसर पाकर मैं काफी उत्साहित अनुभव कर रहा हूँ।

पत्रिका का यह अंक (जुलाई - सितंबर 2013) इस वित्तीय-वर्ष का दूसरा अंक है तथा इस अंक की समयावधि में हिंदी दिवस के आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता व राजभाषा गतिविधियों तथा राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर सभी कार्मिकों के मन में हिंदी में और अधिक काम करने की इच्छा, नई ऊर्जा व नव-उत्साह के वातावरण का सृजन देखने को मिला है। मैं चाहता हूँ कि बैंक में ऐसा ही वातावरण बना रहे। प्रत्येक कर्मचारी स्वेच्छा से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करे।

अनुवाद के माध्यम से किया जा रहा हिंदी का काम हिंदी के विकास में बाधक है, इसलिए हमें अपना समस्त कार्य मूल रूप से हिंदी भाषा में करना होगा। निश्चित रूप से जन-साधारण की भाषा 'हिंदी' में काम करने से हम अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने ग्राहकों के निकट आ पाएंगे, जिससे बैंक के कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी।

हमारे बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक वातावरण है तथा बैंक कार्मिकों में हिंदी में कार्य करने की रुचि में बढ़ोतरी हुई है। ' दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ' व बैंक के विभिन्न आंचलिक कार्यालयों के स्तर पर गठित 'राजभाषा कार्यान्वयन समितियों' व प्रधान कार्यालय स्तर पर राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक के कर्मिकों ने न केवल बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि अनेकों पुरस्कार भी अर्जित किए। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी कार्मिकों को बधाई देता हूँ और सभी साथियों का आह्वान करता हूँ कि वो भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करें।

मैं इस अंक को सुरुचि पूर्ण, जानकारी परक व ज्ञानवर्धक बनाने हेतु राजभाषा विभाग के सृजनात्मक प्रयास की सराहना करता हूँ।

आपका हर दिन हिंदी मय हो - सकारात्मक सोच से भरा हो। यही मेरी कामना है।

डी पी सिंह

(डी. पी. सिंह) *आई.ए.एस.*
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय साथियो,

'हिंदी दिवस' के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगलकामनाएँ! आप इस बात से सुपरिचित हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक स्पष्ट एवं सशक्त माध्यम है। भाषा के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा के बिना इस जगत की दशा क्या होती, इस बात की कल्पना भी डरावनी है। राष्ट्र की वास्तविक उन्नति भाषा में ही छिपी होती है। यदि किसी राष्ट्र की भाषा का ह्रास होता है तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से उस राष्ट्र के साहित्य एवं संस्कृति पर पड़ता है क्योंकि भाषा का संबंध सीधे, समाज से होता है। समाज में घटने वाली समसामयिक घटनाओं, सामाजिक परम्पराओं आदि को भाषा के माध्यम से ही साहित्य का रूप दिया जाता है तथा भाषा के द्वारा ही सामाजिक परम्पराएं, आचार-विचार आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अंतरित होती हैं। यदि किसी भाषा को जीवित रखना है तो उस भाषा में नियमित रूप से साहित्य सृजन एवं समयानुसार उसके शब्दकोष में संवर्धन आवश्यक है। किसी भी भाषा में अन्य भाषाओं से आगत शब्दों का जितना अधिक समावेश होगा वह भाषा उतनी ही समृद्ध होती जाएगी। अपनी इसी विशेषता के कारण आज हिंदी भाषा न केवल भारत अपितु विश्व में भी अपनी पहचान बना चुकी है। यहाँ तक कि हिंदी की हुँकार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वार तक भी पहुँच चुकी है अर्थात् हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की आवाज़ वहाँ पर पहुँच चुकी है तथा भारत सरकार इसके लिए पुरज़ोर प्रयास भी कर रही है।

हालांकि वैश्विक स्तर पर हिंदी की लोकप्रियता में इज़ाफ़ा हो रहा है लेकिन अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषतः दक्षिण में हिंदी का पूर्ण विकास अभी बाकी है। इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी का वर्चस्व। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए विविध कार्यों के लिए हमें अंग्रेज़ी भाषा की आवश्यकता पड़ती ही है लेकिन आप इस बात से भी कन्नी नहीं काट सकते कि अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, आवश्यकताओं, समस्याओं को समझने के लिए अपनी ही भाषा की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि देश के ज़्यादातर लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या राजभाषा में ही कार्य-व्यवहार करते हैं और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की प्रगति के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। अतः यदि आपको देश की उन्नति, देश के हित के लिए कार्य करना है तो आपको अपने देशवासियों की ज़रूरतों, देश की सभ्यता, संस्कृति, आवश्यकताओं आदि को भली-भांति जानना ही होगा और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी उनकी भाषा की। इसी संदर्भ में भारत सरकार राजभाषा हिंदी की उन्नति हेतु प्रयासरत है। हमारे बैंक का राजभाषा विभाग, गृह-पत्रिका 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' को इस तिमाही में ''राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित कर रहा है। राजभाषा विभाग के इस विशेष प्रयास की मैं सराहना करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह अंक बैंक कार्मिकों के मन पर हिंदी प्रयोग हेतु एक अमिट छाप छोड़ेगा।

अंत में पुनः आप सभी को 'हिंदी दिवस' की शुभकामनाएँ देते हुए इतना ही कहूँगा कि प्रत्येक देश की उन्नति उसकी अपनी भाषा में छिपी होती है और हिंदी की उन्नति में ही हमारे देश की उन्नति है।

(मुकेश कुमार जैन)
कार्यकारी निदेशक

कार्यकारी निदेशक महोदय का संदेश

साथियो,

सर्वप्रथम आपको 'हिंदी दिवस' के ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय शुभावसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ! सुविदित है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में सबसे ज़्यादा बोली व समझी हाने वाली देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी भाषा न केवल भारत के विविध भाषा-भाषी क्षेत्रों की भावात्मक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। अपितु यह वैश्विक स्तर पर भी एक लोकप्रिय भाषा बन चुकी है। इसका अनुमान वर्ष 2007 में हुए '8वें विश्व हिंदी सम्मेलन' से ही लगाया जा सकता है जिसका शुभारम्भ तात्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव 'श्री बान की मून' जी के उद्घाटन भाषण से हुआ और उन्होंने थोड़ी हिंदी जानते हुए भी हिंदी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते - ''नमस्ते। क्य हॅल चॅल है?.... मैं हिंदी थोरा-थोरा जानता हूँ..... इस सम्मेलन में भाग लेते हुए खुशी हो रही है।'' यह हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता को ही दर्शाता है।

अपनी मातृभाषा या राजभाषा में कार्य करना एक अनूठे गर्व की बात होती है और हम सभी को अपनी भाषा में कार्य करते हुए गर्व होना भी चाहिए क्योंकि विकास की जिस गति को अपनी मातृभाषा या राजभाषा में हासिल किया जा सकता है वह किसी अन्य या पराई भाषा में सम्भव नहीं। इसके लिए चीन का उदाहरण लिया जा सकता है हालांकि उसे वैश्विक स्तर पर थोड़ा असहज महसूस होता है क्योंकि वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान उतना नहीं है जितना कि वर्तमान में आवश्यक है तथापि उनकी वैश्विक ख़्याति से हम अपरिचित नहीं हैं, जिसका एकमात्र कारण उनकी अपनी भाषा में सहजता एवं शीघ्रता से कार्य करना है। उपरोक्त से मेरा अभिप्राय सिर्फ़ इतना है कि यदि हम अपनी भाषा में ही अपना कार्य करते हैं तो उस कार्य को हम उत्कृष्टता के स्तर तक ले जा सकते हैं। दूसरा अपनी राजभाषा के प्रति प्रेम से आपका देश-प्रेम भी उजागर होता है। देश के लिए कार्य करने का एक माध्यम यह भी है कि आप अपनी राजभाषा में कार्य करें। जिस प्रकार एक सैनिक सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा कर देश की सेवा करता है, उसी प्रकार एक लेखक भी अपनी भाषा में साहित्य सृजन कर लोगों के मन में देश-प्रेम की भावना जागृत करता है। हम सभी के मन में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। इसके लिए हम भाषा को भी चुन सकते हैं, अर्थात् यदि हम राजभाषा हिंदी में मन से कार्य करें तो हमारी देश-प्रेम की भावना स्वतः ही दृश्यमान होगी।

मैं एक बार पुनः आपको 'हिंदी दिवस' की महती शुभकामनाएँ ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी हिंदी के प्रचार-प्रसार में अमूल्य योगदान देंगे।

किशोर सांसी

(किशोर कुमार सांसी)
कार्यकारी निदेशक

अंकुर

संपादकीय

प्रिय साथियो,

'अंकुर' का यह अंक 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव एवं प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हिंदी भाषा के विकास की यात्रा अत्यंत लम्बी है जिसमें अनेक स्वतंत्रता सैनानियों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों आदि ने इसे सशक्त रूप प्रदान किया है। हिंदी भाषा एक बहुआयामी भाषा है। यह बात इसके प्रयोग क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए भी समझी जा सकती है।

हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा भी है, जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। संविधान ने 14 सितंबर, 1949 के दिन हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में वर्णित है कि ''संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा।'' संविधान में राजभाषा हेतु धारा 343 से 351 तक व्यवस्था की गयी है। इसके बाद वर्ष 1953 में हिंदी भाषा को हर क्षेत्र में प्रसारित करने हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष 'हिंदी - दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा।

किसी भी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह सरल हो तथा जनता उसके माध्यम से अपने भावों को सरलता से व्यक्त कर सके तथा दूसरों के भावों को समझ सके।

बैंक एक ऐसी संस्था है, जो जनता के संपर्क में रहती है। यहाँ अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग हमें हमारे ग्राहकों से दूर कर देता है। बैंक में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा को सक्षम स्वरूप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। राजभाषा अधिकारी डैस्क प्रशिक्षण, यूनीकोड प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के माध्यम से बैंक कर्मियों को हिंदी भाषा प्रयोग करने में सहायता करते हैं। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी कदम से कदम मिला कर चल रही है। कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करना बहुत आसान है। बैंक में हिंदी के सॉफ़्टवेयर जैसे 'स्क्रिप्ट मैजिक' आदि हिंदी भाषा को व्यावहारिक रूप में प्रयुक्त होने में मदद कर रहे हैं।

प्रस्तुत अंक में हमने विगत वर्षों में राजभाषा हिंदी से संबंधित बैंक की विभिन्न गतिविधियों की स्मृतियों को ताज़ा करने का प्रयास किया है। चित्र प्रदर्शनियों में हिंदी-पंजाबी कार्यशालाओं, हिंदी-दिवस, संसदीय राजभाषा समितियों द्वारा बैंक के निरीक्षण, राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आदि के चित्रों द्वारा बैंक में बीते वर्षों में हुए हिंदी के कार्यकलापों की झांकियाँ भी दर्शायी गयी हैं। साथ ही हिंदी से संबंधित लेखों जैसे 'कार्यालयीन पत्राचार' एवं 'राजभाषा हिंदी के विकास में प्रयोजनमूलक हिंदी का योगदान', 'बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन - नवोन्मेष कार्य' आदि के माध्यम से राजभाषा हिंदी के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया गया है। 'राजभाषा कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास विभाग की भूमिका' तथा 'हिन्दुस्तान की शान है हिंदी' भी इसी कड़ी में है।

श्री अरविंद के अनुसार सारा जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है, फिर भी प्रत्येक जीव अपने बंधनों से प्यार करता है। यही हमारी प्रवृत्ति की पहली दुरूह ग्रंथी और विरोधाभास है। यही विरोधाभास भारत में कुछ विघ्नसंतोषियों का भी है जो हिंदी जानते हुए भी अंग्रेज़ी बोलते और लिखते हैं। हिंदी के प्रति हीन भावना दासता में बिताए गए लम्बे समय के कारण है, फिर भी हिंदी भाषियों का कारवां पूरी ताकत और इज़्जत के साथ आगे बढ़ रहा है। विदेशों में सैलानियों को घुमाने वाली बस, रेस्टोरेंट, व्यस्त बाज़ार या सुनसान रेलवे स्टेशन में भारतीय उपमहाद्वीप का कोई न कोई व्यक्ति ज़रूर टकराएगा और हिंदी में बातें करेगा तथा इसमें कोई हीनता महसूस नहीं करेगा। जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रोज़ी-रोटी की तलाश में परदेश जा बसे, उन्होंने सच्चे अर्थों में हमारे सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका निभाई है। अरब देशों में हिंदी फ़िल्में और गाने अत्यंत लोकप्रिय हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार में यक़ीनन इजाफ़ा हुआ है।

यह सत्य है कि कम्प्यूटर और मोबाइल फोन ने हिंदी की शुद्धता को आघात पहुँचाया है पर यह भी सत्य है कि इन आविष्कारों ने हमें नए शब्द दिए हैं गति प्रदान की है और हमारी भाषा की परिधि का विस्तार किया है।

आइए, संकल्प लें 'हिंदी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा'।

आपका,

(आर. सी. नारायण)
मुख्य संपादक - 'राजभाषा अंकुर' एवं
महाप्रबंधक (राजभाषा)

आपकी कलम से

राजभाषा अंकुर का 'समर्पित बैंकिंग सेवा के 105 वर्ष' का संग्रहित अंक मिला - पत्रिका देखकर मन में अतीत की झाँकियाँ सजीव हो उठीं। अर्थ जगत में एक नया इतिहास रचने वाले बैंक - 'पंजाब एण्ड सिंध बैंक' ने पिछले 105 वर्षों में जितनी उन्नति की है, वह एक उदाहरण है। अपने नैतिक, धार्मिक व सामाजिक मूल्यों को साथ लिए इस बैंक ने प्रोफ़ेशनल सेवाएं देकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं इस सुंदर प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को बधाई व शुभकामनाएँ देता हूँ।

तरलोचन सिंह
5बी, डॉ ज़ाकिर हुसैन मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

राजभाषा अंकुर का '105 वर्षों से राष्ट्र को समर्पित बैंकिंग सेवा' अंक मिला - धन्यवाद। बैंकिंग इतिहास के अनेकों स्वर्णिम अध्यायों का चलचित्र मानो सजीव हो उठा हो। सरदार मक्खन सिंह का लेख 'बैंक का गौरवमयी इतिहास' मानो गागर में सागर भरने जैसा है। बैंकिंग उद्योग को बैंक की देन देखकर मन प्रसन्नचित हो गया। इतिहास के झरोखे से बैंक को, पत्रिका के माध्यम से, रूबरू कराना सचमुच सराहनीय है।

मनजीत सिंह सचदेवा
4/8, ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

पत्रिका अंकुर का नवीनतम अंक मिला - आभार। समर्पित बैंकिंग सेवा के 105 वर्ष के महत्वपूर्ण दस्तावेज संग्रहणीय है। बैंक के माननीय संस्थापकों व डॉ. इन्द्रजीत सिंह का योगदान स्मरणीय है। लेख 'यादों के झरोखें से' व 'डॉ. इन्द्रजीत सिंह का अनूठा योगदान' जानकारीपरक हैं। आपके बैंक का इतिहास सचमुच गौरवमयी है।

जे. एस. नारंग
के-103, कीर्ति नगर,
नई दिल्ली-110015

'राजभाषा अंकुर' का अप्रैल-जून 2013 अंक मिला-धन्यवाद। इस अंक में बहुत ही दुर्लभ व स्मरणीय सामग्री प्रकाशित की गई है। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख स्तरीय व उच्चकोटि के हैं। संपादकीय में व्यक्त विचार बड़े प्रभावशाली व प्रेरणा भरपूर हैं। इतने सुंदर प्रकाशन के लिए समस्त संपादक मंडल की मेहनत साफ़ दृष्टिगोचर होती है। एक बार पुनः बधाई स्वीकार करें।

-जसपाल सिंह कोचर
सेवा-निवृत महाप्रबंधक

हमारे अंचल की शाखा टोहड़ा के अधिकारी की उपलब्धियाँ तथा खुली नई शाखाओं के छाया-चित्रों को पर्याप्त स्थान देकर इस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्धक एंव रोचक हैं। पत्रिका के प्रकाशन में बहुत मेहनत की है, जिसके लिए हम संपादक मंडल को बधाई देते हैं।

- हरदीप सिंह बेदी
आंचलिक प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, पटियाला

प्रारंभ से लेकर अंत तक पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक आलेख, प्रत्येक जानकारियाँ और चित्र जहाँ मन को आह्लदित करते हैं, वहीं इस संस्था के ऐतिहासिक क्षणों से रूबरू भी कराते हैं। 'बैंक का गौरवमयी इतिहास', 'डॉ. इन्द्रजीत सिंह जी का अनूठा योगदान', 'यादों के झरोखे से' एवं अनेक गतिविधियों से संबंधित चित्रात्मक आलेख जानकारीपरक हैं। पूरी पत्रिका में किए गए श्रम के लिए जहाँ संपादक मण्डल बधाई का पात्र है, वहीं विद्वत परामर्श व मार्गदर्शन ने इस पत्रिका को संगृहित एवं संदर्भ पत्रिका के रूप में स्थापित करने की पहल की है।

- गुरजीत सिंह नारंग,
आंचलिक प्रबंधक, लखनऊ

अप्रैल-जून 2013 का अंक हर लिहाज़ से आकर्षक है। 'बैंक के गौरवमयी इतिहास' के साथ-साथ लगभग सभी विशिष्ट व्यक्तियों का जिन्होंने बैंक को स्थापित किया तथा बैंक को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, का अच्छा दृष्टांत पढ़कर मन प्रसन्न हो गया। डॉ. इन्द्रजीत सिंह का योगदान शब्दों में बयान नही किया जा सकता, जिसे कुछ वर्षों से भुला सा दिया गया था। उनके चित्र और उनके बारे में देख-पढ़कर हर्ष हुआ कि बैंक ने उन्हें तथा उनके अमूल्य योगदान को नहीं भुलाया। अंकुर का यह अंक बहुत सुंदर है। प्रिंट और चित्र आकर्षक हैं तथा विषय मन-भाते है। इसके लिए मैं संपादक मंडल को बधाई देता हूँ।

उपदेश सिंह सचदेवा
सेवा-निवृत सहायक महाप्रबंधक

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2013-14 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी टंकक/आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं अथवा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राईव तथा अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
10.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
11.	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12.	क) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./नि./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	ख) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	ग) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
13.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
14.	कोड, मैन्युअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
15.	ऐसे विभाग जहाँ सारा कार्य हिंदी में हो	40%	30%	20%

हिंदी भाषा का विस्तार एवं विकास

आर. सी. नारायण

प्रसिद्ध स्वीडिश उपन्यासकार जेक ओयेयह (Zack O'yeah) ने अपनी पुस्तक "वन्स अपॉन ए टाइम इन स्कैंडीनाविस्तान" (Once upon a time in Scandinavistan) में भविष्य के संसार की कल्पना की है जब स्वीडन भारत का उपनिवेश बन चुका है तथा शहरों के नामों का भारतीयकरण हो चुका है - गोटनबर्ग का नाम गौतमपुरी बन जाता है। चाट, मिठाइयों की दुकान खुली हैं तथा प्रशासक भारत के आई.ए.एस. अधिकारी हैं। मिस बिहार रह चुकी श्रीमती कुमकुम स्वीडिश डाक-विभाग की व्यवस्था संभालती हैं। लोग पान खाते हैं तथा हिंदी बोलते हैं।

यह वास्तव में भारतीय संस्कृति एवं हिंदी के विश्वव्यापी प्रसार का द्योतक हैं। इसमें प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। आज विदेशों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन वहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालयों में हो रहा है।

संचार-क्रांति और भूमंडलीकरण ने हिंदी के प्रचार को बल दिया। आज स्विटज़रलैंड के सुदूर पर्वतों से लेकर अरब, अमेरिका तथा यूरोप के विस्तृत क्षेत्रों में हिंदी में लिखे बोर्ड देखे जा सकते हैं। फ़िल्में, धारावाहिकों, विज्ञापनों, समाचार-पत्रों तथा ख़बरिया चैनलों की मदद से हिंदी फैल रही है। भूमंडलीकरण का उड़नखटोला जब भारत पहुँचा तो उसमें भी हिंदी को हवा दी। वास्तव में यह एक ऐसा कानखजूरा है, जिसके बावन हाथ हैं तथा जीवन का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं रहा। इसने हिंदी को भी बहुत प्रभावित किया। हालांकि यह बात अल्हदा है कि हिंदी जो कभी करोड़ों दलितों तथा दलितों के संघर्ष की भाषा रही थी, आज की भाषा का स्वरूप उससे अलग है।

हमें याद रखना चाहिए कि भाषा का स्वरूप कभी स्थिर नहीं रहता, वह बदलता रहता है। भाषा एक जल प्रवाह की तरह है। जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह जब हम भाषा को बांधने की कोशिश करेंगे तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भाषा एक बहता नीर है, जिसमें कई चीज़ें घुलती है और एक नए रूप का निर्माण होता है। संस्कृत जिसका जन्म शिव के डमरू से हुआ, आज मृतःप्राय है। क्योंकि इस भाषा को विद्वानों ने बांध दिया। फलतः जनभाषा क्रमशः पालि, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी बन गई। यह हिंदी की समाहार शक्ति है जो दूसरी भाषाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिंदी ने दूसरी भाषाओं से लगभग 5000 शब्द अपनाए। बहुत से शब्द जो आज हम प्रयोग करते हैं वास्तव में अन्य भाषाओं के हैं। अदालत, अक्ल, आदमी, इनाम, इल्ज़ाम, औरत, किताब, कुर्सी, जहाज़, जलेबी, दवा, दिमाग, दुकान, दुनिया, नहर, नक़ल, शराब और हलवाई "अरबी" शब्द हैं। आतिशबाजी, आवारा, कारीगर, किशमिश, गुलाब, पाजामा, बर्फ़ी, मलाई, सरदार और समोसा "फारसी" के शब्द हैं। चाय और लीची "चीनी" शब्द हैं तथा गमला, ऑलपिन, पपीता, पादरी और अलमारी "पुर्तगाली" शब्द हैं। यह सूची बहुत लंबी है, जो हिंदी के लचीलेपन एवं ग्रहण-शक्ति को दर्शाती है।

हिंदी का विस्तार तो हो रहा है पर उसके नए बनते 'जनक्षेत्र' ने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। हिंदी के विकेन्द्रणशील स्वभाव की वजह से उसका एक केन्द्र नहीं है। हिंदी के सीमांतों में हिंदी की समस्याएं हिंदी केन्द्रों यानि हिंदी क्षेत्रों से एकदम अलग हैं।

भारत के सीमांतों में हिंदी भाषा और उसमें रहने वाले जन के अस्तित्व मूलक सवाल उठते रहते हैं। ये तेज़ गतिशील स्थानांतरण में आबादियों के विस्थानों की वजह से पैदा होते हैं। हिंदी भाषी जन, अपने क्षेत्रों के सुस्त, निढाल, गतिविहीन विकास के कारण गैर-हिंदी जगहों पर रोज़ी-रोटी के लिए जाते हैं और दुश्मन समझ कर मार दिए जाते हैं। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में ऐसा होता रहा है। स्थानीय निवासियों को काम छिन जाने का डर बना रहा है। हिंदी राजभाषा है। यह केन्द्र का हस्तक्षेप है। यह तंत्र की ताकत है और अगर तंत्र से शिकायत है तो हिंदी भी शिकायत बन जाती है। इस समस्या में हिंदी का कोई दोष नहीं वरन् इसके सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। वास्तव में अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी पूरक भाषा के रूप में संवाद का माध्यम बन चुकी है। यदि कहीं कोई समस्या है तो वह है सरकारी दफ़्तरों में और सायबर संस्कृति में। कार्यालयीन हिंदी ने इसे क्लिष्टता के जाल में फंसा दिया तथा उसे समान जन की भाषा से दूर कर दिया है।

अगर हम हिंदी को वास्तव में सरकारी कामकाज की भाषा बनाना चाहते हैं तो उसमें अधिक से अधिक बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना होगा। हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय यदि हमारे मन में

पांडित्य प्रदर्शन की भावना आती है तो हम हिंदी को क्लिष्टता के पंजों से मुक्त नहीं कर सकते।

जिस तरह श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को ढूँढ-ढूँढ कर भोजन कराया जाता है, उसी तरह हिंदी दिवस सप्ताह या पखवाड़े में हिंदी के विद्वानों को ढूँढ-ढूँढ कर व्याख्यान देने तथा पुरस्कार वितरण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर हम सब भूल कर हिंदी की आरती उतारते हैं और तिलक अंग्रेज़ी के माथे पर कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी हमारी नाक होती है पर स्वराष्ट्र में उसी नाक को हम अंग्रेज़ी के बूटों तले रगड़ते रहते हैं।

परंतु इस बेग़ानेपन की टहनियों से भी उम्मीद की कोंपलें फूट रही हैं क्योंकि हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या में दिनों-दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। इसकी जड़ें गहरी हैं। इसके मूल में हिंदी की बोलियाँ और उन बोलियों की उप-बोलियाँ है जो अपने-आप में परंपरा, इतिहास और सभ्यता को समेटे हुई हैं।

आज हिंदी में काफ़ी लिखा जा रहा है, बेहतर लिखा जा रहा है। कहानियों में व्यापक फलक है, बारीकियाँ है। कविताओं में ज़बरदस्त चेतना है, भाषा का प्रवाह है तथा चट्टानों को आकार में बदलने की छटपटाहट है।

यह हिंदी किसी के प्रमाण-पत्र की मोहताज नहीं। निश्चय ही यह हमारी संपर्क भाषा के अलावा राष्ट्रभाषा भी है।

आज हिंदीतर क्षेत्र में बहुत लोग हिंदी सीखकर हिंदी के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। वैश्विक धरातल पर भी इसके निरंतर विस्तार एवं विकास की संभावनाएं नज़र आ रही है। विश्व में हिंदी हमारी अस्मिता का प्रतीक है। हिंदी विश्व भाषा के रूप में विकसित होने के लिए योग्य, सक्षम व साधन संपन्न भाषा है। इसके विस्तार व विकास से दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भूमंडलीकरण के दौर में वैश्विक धरातल पर भारतीय अस्मिता के लिए इसके विस्तार एवं विकास के लिए संकल्पबद्ध होना हमारा कर्त्तव्य है।

-महाप्रबंधक (राजभाषा), प्र.का., नई दिल्ली

विद्यमान ग्राहक : बैंक के विद्यमान एवं पुराने ग्राहक मोबाइल विज्ञापन का कार्य करते हैं। पुराने ग्राहक विपणन का सबसे सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम होते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक का नया ग्राहक बनने से पूर्व अपने सर्कल के लोगों से अवश्य पूछताछ करता है। पुराने ग्राहक ही नए ग्राहक को अपने प्रिय बैंक से परिचित कराते हैं।

संविधान में राजभाषा

अनुच्छेद सं.	परिभाषा
343(1)	देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी।
	इसके साथ ही भारतीय अंकों के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा।
343(2) खंड-1	में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिसके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।
344(1)	राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्षों कीअवधि की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से 10 वर्षों की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष एवं अष्टम सूची में उल्लखित भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे।
344(4)	30 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा एवं 10 सदस्य राजसभा के होंगे।
345	प्रत्येक राज्य अपने सरकारी कामकाज के लिए हिंदी, अंग्रेज़ी अथवा किसी भी अन्य स्थानीय भाषा को अपनी भाषा अंगीकार कर सकता है।
346	संघ और राज्य तथा राज्यों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए हिंदी अथवा अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।
347	किसी राज्य के जनसमुदाय के पर्याप्त अनुपात द्वारा मांग किए जाने पर उसकी भाषा को मान्यता देने के लिए राष्ट्रपति महोदय किसी भी राज्य को निर्देश दे सकते हैं।
348	सर्वोच्च न्यायलय अथवा उच्च न्यायालय की कार्यवाही 15 वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होने तक अंग्रेज़ी में चलती रहेगी तथा अधिनियमों नियमों एवं विधेयकों आदि के लिए अंग्रेज़ी का ही प्रयोग किया जाएगा।
349	15 वर्ष की अवधि में अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध करने से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे।
350	संघ या राज्य के किसी अधिकारी, प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में प्रतिवेदन किए जा सकेंगे।
351	हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मूलतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए शब्द भंडार को समृद्ध करना संघ का कर्तव्य होगा।

राजभाषा हिंदी के विकास में प्रयोजनमूलक हिंदी का योगदान

शिल्पी सिन्हा

किसी भी भाषा के विकास में उसके दो स्वरूप उभर कर सामने आते हैं। प्रथम है उसका साहित्यिक स्वरूप जिसमें कहानी, निबंध, लेख आदि गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य का निर्माण तथा विकास किया जाता है। दूसरा स्वरूप है प्रयोजनमूलक स्वरूप जो विज्ञान, तक़नीकी, विधि, संचार एवं अन्यायन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है, यह आदिकाल से आधुनिक काल तक कई खण्डों में विभक्त है तथा अत्यंत प्रसिद्ध, ज्ञानवर्धक एवं रसात्मक है। जहाँ एक ओर सूर, तुलसी, विद्यापति आदि की रचनाएं हमें रसास्वादन कराती हैं वहीं दूसरी ओर प्रयोजनमूलक हिंदी का अपना अलग महत्व है।

प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है वह हिंदी जो विज्ञान, तक़नीकी, विधि, संचार आदि में प्रयुक्त होती है तथा विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखती है। प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास हिंदी को नए आयाम तक पहुँचा सकता है। प्रयोजनमूलक हिंदी आज इस देश में बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक और कम्प्यूटर, टैलेक्स, तार, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अख़बार, डाक, फ़िल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों में अपना वर्चस्व स्थापित किया है, तो वहीं दूसरी और शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज़, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इन्जीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थाओ, तक़नीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा आदि विभिन्न संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने वाले कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में चिट्ठी-पत्री, लैटर-पैड, स्टॉक-रजिस्टर, लिफ़ाफ़े, मुहरें, नामपट्ट, स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस- विज्ञप्ति, निविदा, नीलाम, अपील, केबलग्राम, मंज़ूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। हिन्दी भाषा और प्रयोजमूलक हिन्दी में भिन्नताएं हैं, हिन्दी भाषा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों का सहारा लेती हैं। जिसके कारण हिन्दी हास्य- विनोदमयी होती है, जबकि प्रयोजनमूलक हिन्दी केवल अभिधेयार्थ के सहारे कार्यालयीन, औपचारिक तथा भाषिक मानक से परिचालित होती है। हिन्दी भाषा अगर पहला कदम है तो प्रयोजनमूलक हिन्दी उसका अगला कदम। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा सामान्य सहज भाषा है तो प्रयोजनमूलक हिंदी अर्जित हिंदी भाषा।

प्रयोजनमूलक हिन्दी राजभाषा के रूप में अपने पारिभाषित शब्दों में भी हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों से स्पष्टतः अलग है। इसमें ऐसे अनेक शब्द हैं जो मूलतः इसी के हैं और किसी अन्य प्रयुक्त्यों में कभी प्रयुक्त होते भी हैं तो उसी को लेकर होते हैं। जैसे कमिश्नर- आयुक्त, टेण्डर-निविदा, क्लर्क-लिपिक, कंडक्टर-परिचालक, कलक्टर-ज़िलाधीश, अण्डर-अधीन। प्रयोजनमूलक हिन्दी की राजभाषा के रूप में बड़ी विशेषता है उसका 'शैली भेद' जो इसे विश्व की सभी राजभाषाओं से अलग कर देती है।

हिंदी के पास न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, मनोविज्ञान आदि की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त शब्द हैं, किन्तु रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार आदि के लिए प्रयोजनमूलक एवं तक़नीकी शब्दावली की कमी महसूस हुई।

संगीतशास्त्र - माला, लय, सुर, गंधर्व, ताल।

योगशास्त्र - समाधि, उदान, इड़ा, पिंगला।

राजनीतिशास्त्र - अधिकार, कर्तव्य, संप्रभुता, सत्याग्रह।

विधिशास्त्र - संजेय, अपराध।

दर्शनशास्त्र- आनंद, निरानंद, आत्मा, परमात्मा।

प्रयोजनमूलक शब्दावलियों के कुछ उदाहरण देखें-:

बैंकिंग शब्दावली - बही-खाता, रोकड़, जमा-रसीदें, खाताबंदी, निविदाएं, चालू खाता, जमा खाता आदि

संसदीय शब्दावली- विधेयक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अध्यादेश, शून्यकाल आदि

विधि शब्दावली- न्यायपालिका, याचिका, मुकदमा, धारा, दफ़ा आदि

प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग लोक-व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। इसका भाषिक व्यवहार वैयक्तिक न होकर निर्वयक्तिक रुप में होता है। इसलिए प्रशासनिक काम-काज में जब हिन्दी का व्यवहार होता है तो इसमें कर्तवाच्य की जगह कर्म-वाच्य की प्रधानता होती है, इसमें बोलने वाला व्यक्ति सापेक्ष न होकर निरपेक्ष होता है। जैसे- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, न कि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रयोजनमूलक हिंदी के राजभाषा स्वरूप में अनेक ऐसे शब्द भी बना लिए गए हैं जिनके संबंध उर्दू से हैं। परिणामस्वरूप अंग्रेज़ी के काफ़ी प्रशासनिक शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हिन्दी में अन्य शब्द प्रचलित हैं

- Agreement Form - क़रारनामा - अनुबंध-पत्र
- Affidavit - हलफ़नामा - शपथ-पत्र
- Tender - टेंडर - निविदा
- Office - दफ़्तर - कार्यालय
- Collector - ज़िलाधीश - ज़िला मजिस्ट्रेट

प्रयोजनमूलक हिन्दी के कार्यालयी स्वरूप में सामान्य भाषा के अनेक ऐसे शब्द हैं जो सामान्य व्यवहार और कार्यालय व्यवहार में भिन्न-भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं यथाः

वर्थ - जन्म, रेल परिवहन सेवा में सोने या बैठने का स्थान

टिप्पणी - प्रतिक्रिया, पाद टिप्पणी, विशेष निर्देश, अनुदेश, आकलन, सूचक आलोचनात्मक अभिव्यक्ति, अभिमत ड्राफ्ट - धनराशि का आदेश पत्र आलेखन, मसौदा, प्रारुपण (बैंक) आदि शब्दों के अतिरिक्त 'भाव' शब्द साहित्य में 'अनुभूति' का वाचक है तो बाज़ार में मूल्य का द्योतक है जैसे यह कविता भावपूर्ण है और सोने के भाव आसमान पर चढ़े। 'संज्ञा' सामान्य व्यवहार में 'चेतना' का द्योतक है तो व्याकरण में 'संज्ञा' नाम व्यक्ति आदि का द्योतक है।

बाज़ारीकरण के इस युग की व्यावसायिकता की होड़ में हिंदी भाषा के कई शब्द, वाक्य या वाक्यांश को प्रयोजनार्थ पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। यथा बिकवाली कम होने से जीरा औंधे मुँह गिरा, लेखों का अंकेक्षण 'एजी' से, रिकॉल का प्रावधान खारिज, मोबाईल धारकों को अनवांटेड कॉल्स से छुटकारा आदि कई जुमलों ने प्रयोजनमूलक हिंदी को समृद्ध किया है।

वैश्विक बाज़ार के प्रभाव ने भारत की भाषा को व्यावसायिकता की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। संचार की भाषा के रूप में भी प्रयोजनमूलक हिंदी शब्दों को एक विशेष पहचान मिली है। यथा पोस्टर्स, न्यूज़, बुलेटिन, हाऊस जर्नल्स, मेसेज बुक, डायरी आदि। प्रयोजनमूलक हिंदी का संस्कृत या व्याकरण सम्मत होना आवश्यक नहीं है, उसे प्रशासन और बाज़ार की ज़रूरत मुताबिक सरल बनाया जाता है जिसमें अहिंदी भाषी व्यक्ति भी आजीविका हासिल कर सके।

वैश्वीकरण के इस दौर में जब 'विलेज ग्लोबलाइज़ेशन' की बात की जाने लगी है, गाँव और शहर का अंतर मिटता जा रहा है, व्यवसायीकरण में विज्ञापन हमारे जीवन-स्तर को सुधारने में अहम भूमिका अदा कर रहा है, जिसके लिए उत्पादक नए-नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर प्रयोजनमूलक हिंदी को सम्पन्न कर रहे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी को संचार और बाज़ार ने और अधिक सुदृढ़ता प्रदान की है।

मानव और मानव-समाज के विकास के साथ ही भाषा का अनन्त विकास भी जुड़ा है। प्रयोजनमूलक हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही होने लगा था। अंग्रेज़ी या अन्य विदेशी शब्दों की पारिभाषिक शब्द रचना के साथ ही देशज पारिभाषिक शब्दों की संरचना भी लगभग इसी युग में हुई होगी। अशिक्षित ग्रामीण मनुष्य ने जब पहली बार वायुयान देखा होगा तो 'चीलपक्षी' की समतुल्यता में उसे 'चीलगाड़ी' और पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी के नाम से अभिहित किया होगा, क्योंकि उस समय तक वह बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी आदि समतुल्य शब्दों से वाकिफ़ रहा होगा। इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी का शब्द-संसार समृद्ध होता गया और वह बहुमुखी एवं बहुआयामी बनती चली गयी।

स्टाफ़ का व्यवहार : बैंक की छवि, उसकी ग्राहक संख्या, उसका कार्य-व्यापार किसी शाखा में उपस्थित स्टाफ़ के व्यक्तित्व, उनके मृदुल एवं आत्मीयता से परिपूर्ण व्यवहार ही निर्भर करता है। स्टाफ़ द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं एवं बैंकिंग जानकारी पर यदि स्टाफ़ का रवैया सहयोगात्मक एवं किसी भी सेवा का प्रस्तुतीकरण ग्राहक की वांछित भाषा के साथ-साथ सौम्यता से परिपूर्ण है तो ग्राहक सदैव आपका गुणगान करेगा और बैंक के ग्राहकों की संख्या में नियमित वृद्धि होती रहेगी और असीमित व्यापार मिलेगा।

राजभाषा कार्यान्वयन में वृद्धि के उपाय

डॉ. चरनजीत सिंह

वर्ष 1949 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसे अंग्रेज़ी की अनुगामिनी बना कर रखा गया। जब वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया तब इसके क्रियान्वयन में प्रगति हुई। अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए वर्ष 1975 में 'राजभाषा नियम' तैयार किए गए। यही वह समय था जब सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य किए जाने पर बल दिया जाने लगा। परंतु उस समय इसका दायरा बहुत संकीर्ण था। यह अधिनियम केवल सरकारी कार्यालयों और सरकारी बैंकों पर ही लागू होते थे। वर्ष 1980 में जब निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब लगभग सभी बैंकों में हिंदी में काम करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी आज बैंकों तथा सरकारी कार्यालयों तथा बैंकों में राजभाषा विभाग स्थापित हो चुके हैं।

राजभाषा विभाग की स्थापना के बाद सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य था प्रयोग में लाए जा रहे समस्त फार्मों तथा प्रक्रिया साहित्य का द्विभाषीकरण। कार्यालयों में प्रयोग की जा रही समस्त रबड़ की मोहरें, नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट और पत्र-शीर्ष आदि केवल अंग्रेज़ी में थे। उन सबका द्विभाषीकरण किया गया। विज्ञापन भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने लगे।

परंतु देश की आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी हिंदी सही मायने में देश की राजभाषा नहीं बन सकी है। कार्यालय में हिंदी के प्रयोग के दौरान मुख्यतः दो प्रकार की कठिनाईयाँ सामने आती हैं -

क. मानसिकता संबंधी कठिनाईयाँ।

ख. व्यावहारिक कठिनाईयाँ।

क. मानसिकता - भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ी का गुलाम रहा है, अंग्रेज़ों ने जहाँ हमारी दौलत लूटी, वहीं हमारी संस्कृति पर भी हमला किया है। उन्होंने हमारी वेशभूषा बदल दी शिक्षा का माध्यम और पद्धति भी बदल दी। कुर्ता, पायजामा और धोती जो हमारी पोशाक थी, उसे पहनने वालों को गंवार और असभ्य कहा जाने लगा। कमीज़, पेंट और टाई सभ्य होने का पर्याय बन गए। अंग्रेज़ों ने एबीसीडी तथा किंडर गार्डन पद्धति से पढ़ने को मान्यता देकर हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को क्षति पहुँचाई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे देश का अधिकारी वर्ग अंग्रेज़ी का नुमाइंदा बन गया। सूचना प्रौद्योगिकी का काम-काज ज़्यादातर अंग्रेज़ी में होने से किशोरों का झुकाव अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा होने लगा। पहले जहाँ विदेशी छात्र भारत में पढ़ने आते थे अब हमारे बच्चे विदेशों यथा-आस्ट्रेलिया, अमरीका और इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं।

इन सबके कारण भारतीय लोगों की मानसिकता भी बदल गई है। हम स्कूल में जो पढ़ते हैं उसका अनुपालन जीवन में भी करने लगे हैं। सोचते हिंदी में है, लिखने की कोशिश अंग्रेज़ी में करते हैं।

समाधान : इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं की मानसिकता बदलनी होगी। हम अपना अवकाश आवेदन फार्म टी.ए. बिल, एल.एफ.सी. फ़ार्म आदि केवल हिंदी में ही भरें। इससे दूसरों की मानसिकता बदलने का वातावरण बनेगा। नियंत्रक कार्यालयों में सभी नोट हिंदी में लगाए जाएं। आंचलिक प्रबंधक तथा उच्चाधिकारीगण सभी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर हिंदी में टिप्पणी दें। इससे उस कार्यालय के अधीन कार्यरत अधिकारियों को एक सकारात्मक संदेश मिलेगा और वे भी अधिकाधिक पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का प्रयास करेंगे।

इस प्रक्रिया को जारी रखकर धीरे-धीरे हम अपनी मानसिकता बदलने में कामयाब हो सकते हैं। हिंदी कार्यशालाओं, डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा भी मानसिकता बदलने का प्रयास किया जाता है। मेरा मानना है कि हिंदी दिवस जैसे वार्षिक पर्वों में केवल पुरस्कार पाने की चाह से ही सहभागिता न की जाए बल्कि प्राप्त पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखने के लिए कार्यालय में अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करना चाहिए।

मानसिकता बदलने के प्रयास में उच्चाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी बेहतर परिणाम देती है। उनकी थोड़ी सी सख़्ती से काम तुरंत हो जाता है। जो शाखा प्रबंधक स्वयं हिंदी में काम करते हैं उनकी शाखा में हिंदी में काम अधिक मात्रा में किया जाता है। ऐसी शाखाओं में अहिंदी भाषी स्टाफ़ भी हिंदी में काम करना सीख जाते हैं।

ख. व्यावहारिक कठिनाइयाँ : मानसिकता के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी आती हैं :

1. हिंदी में लिखने का अभ्यास : हिंदी के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा है-लिखने के अभ्यास की। अधिकतर स्टाफ़ और ग्राहक हिंदी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें लिखने का अभ्यास नहीं होता। परिणाम यह होता है कि लिखते समय उन्हें शब्द नहीं मिलते और वह अंग्रेज़ी में ही लिखना आरम्भ कर देते हैं।

समाधान : हिंदी में लिखना आसान है। स्टाफ़-सदस्य धीरे-धीरे इसकी शुरूआत करें। शाखा या कार्यालय में जो साथी हिंदी जानते हों उनकी मदद लें। शुरू में थोड़ी देर अवश्य लग सकती है परंतु यदि सीखने की भावना हो तो धीरे-धीरे लिखने की आदत भी पड़ जाती है। इस संबंध में सभी कार्मिकों को प्रत्येक शनिवार को कम से कम दो पत्र हिंदी में आवश्यक रूप से लिखने चाहिएं।

2. शब्दावलियों का अभाव : अंग्रेज़ी पत्र का अनुवाद करने के लिए आम तौर पर हमें शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। तक़नीकी शब्दों के अर्थ जानने के लिए हमें शब्दावलियों की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसा देखने में आया है कि कार्यालयों में इस प्रकार की शब्दावलियों का अभाव रहता है या वह उतनी स्तरीय नहीं होती हैं, जिससे अनुवाद कार्य में रुकावट आ जाती है।

समाधान : प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग ने बैंक के समस्त आंचलिक कार्यालयों में इस प्रकार की शब्दावलियाँ वितरित की हैं ऐसे शब्दकोषों की सहायता से काफी हद तक अनुवाद की समस्या हल हो सकती है और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है। शब्दावलियों की सहायता से भी समस्या हल नहीं होती तो उस शब्द को ज्यों का त्यों देवनागरी भाषा में लिख देना चाहिए। हिंदी भाषा में वाउचर, ड्राफ्ट, बैंक, चेक शब्द अंग्रेज़ी की तरह ही चलते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी के सामान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

3. प्रक्रिया साहित्य का अभाव : बैंक में कई विभाग तक़नीकी प्रकृति के हैं। ऐसे विभागों से संबंधित मैनुअल, संदर्भ साहित्य या जारी किए जा रहे परिपत्र आदि द्विभाषिक रूप में उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की सामग्री कार्यालयों में उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों को हिंदी में काम करने में कठिनाई आती है।

समाधान : प्रत्येक कार्यालय से संबंधित सभी संदर्भ साहित्य द्विभाषी/हिंदी में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संबंधित मैनुअल, परिपत्र तथा संदर्भ साहित्य कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखे जाने चाहिएं और उस कार्यालय के कार्मिकों को चाहिए कि उनकी सहायता से वे सभी अपना काम हिंदी में अवश्य करें। बैंक के प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग के प्रयास से तक़नीकी प्रकृति काफी संदर्भ साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराए गए हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियों को भी फाईल कवरों पर मुद्रित किया गया है ताकि उन्हें किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता न पड़े। इसी प्रकार शाखाओं/कार्यालयों में काम कर रहे कार्मिकों को भी चाहिए कि वे बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की मुद्रित सामग्री का प्रयोग कर बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएं ताकि बैंक को दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

4. कंप्यूटर पर कार्य : कार्यालयों में कंप्यूटरों पर मुख्यतः काम अंग्रेज़ी में ही होता है, परंतु बदलते समय के साथ कंप्यूटर पर द्विभाषीकरण हेतु विभिन्न सॉफ़्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। कार्मिकों को कंप्यूटर पर टाइपिंग की समस्या आती है।

समाधान : लगभग सभी आंचलिक कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं जो अपने स्तर पर कार्मिकों को हिंदी टाईपिंग का प्रशिक्षण दिला रहे हैं। इच्छुक कार्मिकों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर हिंदी टाईप सीखें तथा हिंदी में काम करें।

जिन कार्मिकों को हिंदी लिखने का अभ्यास है, उन्हें अपने छोटे-छोटे दैनिक कार्यों जैसे नोट लगाना, स्वीकृतियाँ भेजना, पावती देना तथा स्मरण-पत्र भेजना आदि में हिंदी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि उनके पास कंप्यूटर पर हिंदी की सुविधा उपलब्ध है तो हिंदी टाइप का ज्ञान प्राप्त कर ऐसे कार्यों को कंप्यूटर पर हिंदी में करें या राजभाषा अधिकारी से इस प्रकार के नेमी पत्रों के हिंदी नमूनों को अपने कंप्यूटर पर डलवा लें और समय-समय पर उनके प्रिंट-आउट लेकर उनका प्रयोग करें। साथ ही अपने सहकर्मियों को भी हिंदी टाइपिंग में सहयोग दें।

बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में राजभाषा विभाग सदा हमारे कार्मिकों के सहयोग के लिए प्रस्तुत रहता है। राजभाषा विभाग द्वारा कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए यूनीकोड प्रशिक्षण दिया जाता है, बैंक की शब्दावलियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। डैस्क प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

आशा है इन समस्याओं के निवारण से बैंक के कार्मिकों में हिंदी में काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

- प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

"राजभाषा अंकुर"

(यादों के झरोखे से)

बैंक पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' के विशेषांक ''समर्पित बैंकिंग सेवा के 105 वर्ष'' का विमोचन

कार्यकारी निदेशक श्री एम. के. जैन, श्री किशोर कुमार साँसी बैंक पत्रिका का विमोचन करते हुए।

कार्यकारी निदेशक महोदय के साथ बैंक के उच्चाधिकारी व राजभाषा परिवार।

कार्यकारी निदेशक श्री किशोर कुमार साँसी एवं श्री एम. के. जैन पत्रिका की प्रथम प्रति पर शुभकामनाएं अंकित करते हुए।

राजभाषा विभाग के प्रभारी व पत्रिका के संपादक डॉ. चरनजीत सिंह नवीनतम अंक की विशेषताएं बताते हुए।

कार्यकारी निदेशक श्री किशोर कुमार साँसी पत्रिका की हस्ताक्षरित प्रति महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक श्री आर. सी. नारायण व प्रभारी राजभाषा डॉ. चरनजीत सिंह को सौंपते हुए।

'दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन' के तत्वावधान में प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित 'समाचार-वाचन प्रतियोगिता'

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन का तत्वाबधान में प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित समाचार - वाचन प्रतियोगिता में (कार्यकारी निदेशक) श्री किशोर साँसी का स्वागत करते हुए श्री आर. सी. नारायण, महाप्रबंधक (राजभाषा)

सहभागियों को संबोधित करते हुए श्री किशोर साँसी, (कार्यकारी निदेशक) इस अवसर पर बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन में वृद्धि हेतु उन्होंने सहभागियों को प्रोत्साहित किया।

सहभागियों से नराकास तथा प्रतियोगिता के विषय में चर्चा करते हुए श्री आर. सी. नारायण, महाप्रबंधक (राजभाषा)

समाचार - वाचन प्रतियोगिता के अवसर पर एक सहभागी, निर्णायक मंडल के सदस्यों के समक्ष समाचार - वाचन करते हुए।

समाचार - वाचन प्रतियोगिता के नियमों के बारे में सहभागियों को परिचित कराते हुए डॉ. चरनजीत सिंह (मुख्य प्रबंधक एवं प्रभारी, राजभाषा)

समाचार - वाचन प्रतियोगिता में समस्त बैंकों से आए प्रतिभागी गण।

श्री एम. के. जैन, कार्यकारी निदेशक का पी.एस.बी. ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान, मोगा का निरीक्षण दौरा

श्री एम. के. जैन (कार्यकारी निदेशक) श्री हर्षबीर सिंह (महाप्रबंधक) तथा श्री इक़बाल सिंह भाटिया (महाप्रबंधक) स्थानीय प्रधान कार्यालय, चण्डीगढ़ का ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान, मोगा में पुष्प-गुच्छ से स्वागत करते हुए श्री आर. एस. वालिया (निदेशक आर.एस.ई.टी.आई., मोगा)

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान, मोगा के निर्माण स्थल पर प्रयुक्त सामग्री का निरीक्षण करते हुए श्री एम. के. जैन, (कार्यकारी निदेशक) श्री हर्षबीर सिंह (महाप्रबंधक) तथा श्री इक़बाल सिंह भाटिया (महाप्रबंधक) स्थानीय प्रधान कार्यालय, चण्डीगढ़

ऋण शिविर

आंचलिक कार्यालय बरेली के तत्वावधान में आयोजित ऋण शिविर में श्री जी. एस. बिंद्रा (मुख्य महाप्रबंधक) एक ऋण लाभार्थी को चेक प्रदान करते हुए। इस अवसर पर श्री एच. पी. एस. बत्रा, आंचलिक प्रबंधक, बरेली भी उपस्थित थे।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा बैंक के प्र.का. का राजभाषा निरीक्षण

डॉ. निर्मल खत्री, समिति के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रो. अलका बलराम 'क्षत्रिय', समिति की माननीय संयोजिका एवं अन्य सदस्यगण, बैंक के प्रयोजनमूलक मैनुअल का विमोचन करते हुए तथा साथ में श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)।

डॉ. निर्मल खत्री, समिति के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ''राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन'' पुस्तिका श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) को भेंट करते हुए।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण बैठक में उपस्थित माननीय समिति सदस्य व बैंक के उच्चाधिकारी।

डॉ. वेद प्रकाश दूबे, (संयुक्त निदेशक) वित्त-मंत्रालय, भारत सरकार बैंक के प्रक्रिया साहित्य की प्रदर्शनी देखते हुए।

प्रदर्शनी देखते हुए श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) तथा श्री आर. सी. नारायण, (महाप्रबंधक राजभाषा)।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा चण्डीगढ़ में विचार-विमर्श बैठक

स्थानीय प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री इक़बाल सिंह भाटिया द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत

माननीय सांसद सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श बैठक

प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित

हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन

संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण/बैठक के अवसर पर बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2013

अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

काव्य-मंजूषा

जय हिंदी

धरती की गरिमा नभ की ऊँचाई है हिंदी,
सागर से गहरी मन की गहराई है हिंदी।

विश्व-बंधुता की द्योतक मानवता की प्रेरक,
सरस सुयोजित वाणी की सच्चाई है हिंदी।

कर सोलह श्रृंगार, अंक में नव रस को धारे,
हर मौसम की अलग-अलग अंगड़ाई है हिंदी।

युग-युग तक जिसकी महिमा हर जिह्वा पर होगी,
सूर, कबीर, तुलसी की कविताई है हिंदी।

इसे राजभाषा कहकर सीमित क्यों करते हो?
जब पूरी वसुधा पर ही सरसाई है हिंदी।

जिसकी पावनता को नित दिनकर भी नमन करे,
उस भारत के आंगन की अमराई है हिंदी।

आओ ऊँचे स्वर में इसकी जय बोलें,
देवों की वाणी से मिलकर आई है हिंदी।

कनिष्ठा दूबे
शाखा पल्लवपुरम, मेरठ

शपथ

भगवान को साक्षी मान कर,
लेते हैं हम आज शपथ।
पंजाब एण्ड सिंध बैंक को पहुँचाएंगे हम,
उन्नति और विकास के पथ पर।।

एकजुट होकर हम सब,
मेहनत और ईमानदारी से।
तरक्की से परिवर्तन लाएंगे,
बैंक में वफ़ादारी से।।

ग्राहक की खुशी, ग्राहक की,
संतुष्टि के लिए करेंगे सेवा।
देश में सब से आगे होंगे,
जब खुश होंगे ग्राहक देवा।।

सभी अपनी कार्य - कुशलता से,
बढाएंगे बैंक की छवि।
विश्व के नभ के ऊपर,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक चमके बन कर रवि।।

- विशाखा शर्मा
शाखा गुरु नानक पब्लिक स्कूल, पानीपत

चोटें बहुत मिली

काँच सरीख़े सपने टूटे।
चोटें बहुत मिली।।

पलकों को छूकर देखो तो नम-नम लगती हैं,
मन में उम्मीदों की किरणें मध्यम लगती हैं,
वासन्ती झोंके आये पर कलियाँ कहाँ खिली।।

बहुत हुए दिन जब पहने थे गुलमोहरी वसन,
चील झपट्टों से बचने को किससे ढक लें तन,
तेरी मेरी फटी कमीज़ें अब तक कहाँ सिली।।

मधुमक्खी के छत्ते जैसी मधुमय है दुनिया,
स्वार्थ - सिद्धि होने तक लगती सहृदय है दुनिया,
डरता मन अपनों की जो छायायें तनिक हिली।।

- सितांशु कुमार
शाखा इंदिरा नगर,
लखनऊ

गाँवों के लिए वरदान

पंजाब एण्ड सिंध बैंक है गाँवों के लिए वरदान,
इसने गाँवों में भर दी है एक नई जान,
इसने बढ़ाया है गाँवों का मान - सम्मान,
ग़रीब भी हो गए है अब बलवान,
लहरा उठे है खेत और खलिहान।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक है गाँवों के लिए वरदान,
किसान अब भूखे नहीं, खेत-खलिहान सूखे नहीं
चारों तरफ हरियाली है, कहीं गेहूँ कही बाली है,
बैंक ने सरल सेविंग की योजना को बनाया है,
ग़रीबों में नया जोश जगाया है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक है गाँवों के लिए वरदान,
इसने गाँवों में भर दी है एक नई जान,
इसके कार्यों के लिए मिला है इसे सम्मान,
भविष्य में बनाएगा और नए-नए कीर्तिमान।

- प्रतीक गोयल
शाखा रेवाड़ी

काव्य-मंजूषा

आईना

ज़िंदगी की अँधेरी तंग गलियों में,
चारों ओर है, हाहाकार मचा,
सिसक रही इंसानियत,
हैवानियत का बाज़ार बढ़ा।

वाह री ज़िंदगी!
तूने बहुत नाच नचाया,
अंत में आकर,
मौत ने ही साथ निभाया।

आँसुओं को बहुत समझाया,
तन्हाई में ही आया करो,
महफ़िल में आकर,
यूं ही मज़ाक न उड़ाया करो।

इस पर आँसुओं ने भी
तड़प कर कहा,
तन्हा पाते हैं हम आपको,
अनायास ही इसलिए,
हम चले आते हैं।

आज की इस मायावी दुनिया में,
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं,
जो महफ़िलों में मुस्कराते हैं,
और तन्हाई में रोते हैं।

- **राजीव कुमार राय**
आंचलिक कार्यालय, देहरादून

मेरी बेटी

तुम मेरी कल्पना सी उभरी,
मेरी उम्मीद बन पनपी,
मेरी आशाओं की नींव बनी,
और मेरे मानस पर छा गयीं....

मैं हमेशा तुम्हें नन्हें फूलों में देखता रहा,
नन्ही कलियों में ढूँढता रहा,
हवाओं में बिखरी खुशबुओं में ढूँढता रहा,
और एक दिन तुम्हें अपने आंगन में खिला पाया....

आज तुम उन्मुक्त पंछी बन उड़ सकती हो,
महसूस कर सकती हो-धरा के पटल को,
लेकिन इस गगन की सीमाओं में उड़ना-
मेरी आशाओं में उड़ना,
अपनी इच्छाओं में उड़ना...
हर दिल को छूना,
हर दिल में रहना,
मगर ध्यान रहे-सूर्य के निकट मत जाना,
ऊँची दौड़ में पंख जल जाते हैं-
ज़्यादा उम्मीद में लोग गिर जाते हैं-
कल के पीछे, लोग आज भूल जाते हैं-
याद रहे....
तुम-मेरी बेटी हो...
मेरी आशाओं तक सीमित रहना,
मेरी उम्मीद से ऊपर रहना,
मेरे विचारों से आगे रहना,
जब राह बाधक बन जाए-
मुझसे कहना...
मैं अपनी उम्मीदों से तुम्हे बांध लूंगा,
अपनी आशाओं से तुम्हें घेर लूंगा,
सूरज की किरणों सा आच्छादित हो,
हवाओं में समेट लूंगा, क्योंकि-
तुम मेरी कल्पना से उभरी,
मेरी उम्मीद से पनपी,
मेरी आशाओं की नींव हो,
मेरी बेटी-तुम मेरी सुंदर कल्पना हो,
नन्ही कलियों में ढूँढता था,
तुम मेरे अहं का अक्स हो... क्योंकि-
तुम मेरी बेटी हो।

कैप्टन प्रकाश चंद
आंचलिक कार्यालय, देहरादून

साहस कर

मेरी ज़िंदगी ने मुझसे कहा,
ख़्वाब में यूँ खोने का क्या फ़ायदा?
उन ख़्वाबों को अपनी हकीकत बनाता चल।
जब राहों में मिले सिर्फ़ ठोकरें,
उन पत्थरों को अपनी मंज़िल बनाता चल।
मिलते हैं कई रिश्ते बिछुड़ने के लिए,
इन फ़ासलों को अपनी चाहत बनाता चल।
कहते हैं हाथों की लकीरों में लिखा है नसीब अपना,
खुद अपने हाथों से अपना मुकद्दर बनाता चल।
गिरा है सौ बार अगर तूं अपनी राहों में,
तो हर बार भगवान समझ खुद को उठाता चल।
बुझ गया दिया अगर तेरी रोशनी का,
तो चाँद को अपना मसीहा बनाता चल,
फूल न मिले तो ग़म नही,
काँटों को अपना बसेरा बनाता चल।

- **सुरेश कुमार**
शाखा समालखा, पानीपत

हिंदी-पंजाबी कार्यशालाएँ

आंचलिक कार्यालय बठिण्डा, दिनांक 14.06.2013

आंचलिक कार्यालय फरीदकोट, दिनांक 21.06.2013

आंचलिक कार्यालय गुरदासपुर, दिनांक 27.06.2013

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-III, दिनांक 27.06.2013

आंचलिक कार्यालय लखनऊ, दिनांक 28.06.2013

आंचलिक कार्यालय लुधियाना, दिनांक 16.07.2013

आंचलिक कार्यालय अमृतसर, दिनांक 30.07.2013

आंचलिक कार्यालय चण्डीगढ़, दिनांक 23.08.2013

हिंदी-पंजाबी कार्यशालाएँ

आंचलिक कार्यालय हरियाणा, दिनांक 29.08.2013

आंचलिक कार्यालय नई दिल्ली-II, दिनांक 30.08.2013

आंचलिक कार्यालय कोलकाता, दिनांक 30.08.2013

आंचलिक कार्यालय देहरादून, दिनांक 30.08.2013

आंचलिक कार्यालय पटियाला, दिनांक 04.09.2013

आंचलिक कार्यालय भोपाल, दिनांक 04.09.2013

श्री मुकेश कुमार जैन (कार्यकारी निदेशक) ने अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब जी में माथा टेका तथा गुरू घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री हरिमंदिर साहिब जी के सूचना केंद्र में आपको सिरोपा प्रदान कर सम्मानित किया गया।

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ में कार्यकारी निदेशक महोदय का पुष्प-गुच्छ से स्वागत।

कार्यकारी निदेशक महोदय का संबोधन।

आंचलिक कार्यालय, लुधियाना

लुधियाना अंचल में बैठक में कार्यकारी निदेशक महोदय का पुष्प-गुच्छ से स्वागत।

कार्यकारी निदेशक महोदय का संबोधन।

आंचलिक कार्यालय, फ़रीदकोट

आंचलिक कार्यालय, फ़रीदकोट में कार्यकारी निदेशक महोदय का स्वागत।

कार्यकारी निदेशक महोदय का संबोधन।

श्री मुकेश कुमार जैन (कार्यकारी निदेशक) का श्री योगेश्वर वर्मा (आंचलिक प्रबंधक, हरियाणा) द्वारा पुष्प-गुच्छ से अभिनंदन।

कार्यकारी निदेशक महोदय का बैंक कार्मिकों व शाखा प्रबंधकों को संबोधन।

आंचलिक कार्यालय, हरियाणा के अधीन शाखाओं के प्रबंधक व अन्य बैंक कार्मिक, कार्यकारी निदेशक महोदय का संबोधन सुनते हुए।

करनाल के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी के प्रांगण में पौधारोपण करते हुए कार्यकारी निदेशक महोदय। साथ में श्री इक़बाल सिंह भाटिया (महाप्रबंधक) श्री योगेश्वर वर्मा (आंचलिक प्रबंधक, हरियाणा) व अन्य गणमान्य विभूतियाँ पौधारोपण में हाथ बंटाते हुए।

कार्यालयीन पत्राचार

कंवर अशोक

आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास पश्चिम में हुआ था। भारत में बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेज़ी राज के दौरान स्थापित हुई, इसलिए बैंक के कामकाज का माध्यम भी अंग्रेज़ी भाषा ही बनी। बैंकिंग व्यवस्था इस देश में अपने साथ कामकाज की एक बनी बनाई भाषा भी लेती आई। स्वतंत्रता से पूर्व बैंकिंग व्यवस्था वर्ग विशेष तक ही सीमित थी। यह वर्ग विशेष आम जनता से अलग था और इसकी सम्पर्क भाषा शासकों की भाषा अंग्रेज़ी थी। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कुछ नए शब्द ग्रहण करने के अलावा शब्दावली वही रही, किंतु भाषा का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर रहा। विदेशी भाषा के व्यवहार के कारण बैंकिंग व्यवस्था जनता से दूर रही।

देश आज़ाद हुआ और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बैंकों की भागीदारी की आवश्यकता महसूस हुई। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों को कारोबार काफ़ी हद तक व्यापार और उद्योग क्षेत्र तक सीमित था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की कार्यपद्धति में काफ़ी परिवर्तन आया। शाखाओं के विस्तार के साथ-साथ आम आदमी बैंकों के नज़दीक आ रहा है। आज समाज का वह व्यक्ति भी बैंक की सुविधा प्राप्त कर सकता है, जो छोटा-मोटा धंधा करके अपना गुज़ारा कर रहा है। समाज के सभी वर्ग समान रूप से बैंक सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि अब बैंकों की यात्रा बड़े शहरों से गाँवों की ओर हो रही है। इस नए दृष्टिकोण ने बैंकों की दृष्टि से स्थानीय भाषा को नया अर्थ दिया है। हम ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में ग्राहकों का विश्वास तब तक नहीं जीत सकते जब तक उनके और अपने बीच भाषा की दूरी समाप्त नहीं कर देते। भाषा की दूरी आम आदमी में बैंकों के करीब आने में किसी सीमा तक हीनता की भावना पैदा करती है। जब तक हम ग्राहक की भाषा में ही उससे बात करते हैं तो इससे वह न केवल हमारे नज़दीक आता है बल्कि अपनी कठिनाईयों को और अधिक अच्छे ढंग से हमारे सामने रखता है।

यदि हम चाहते हैं कि हमारे तथा एक भाषा जानने वाली ग्रामीण जनता के बीच सीधा संवाद हो तो हमें उन्हीं की भाषा में काम करना होगा। इस संबंध में हिंदी का महत्व निर्विवाद है, क्योंकि यह संवाद का सशक्त माध्यम है। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने ग्राहकों के बारे में कहा था कि 'ग्राहक की सेवा कर हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हमें सेवा का मौक़ा देकर वह हमारे ऊपर एहसान कर रहा है।' वर्तमान हालातों में यह बात कितनी सटीक है। बैंकों के प्रति आज ग्राहकों की निष्ठा बदल गई है। यदि ग्राहक को सन्तुष्टि नहीं मिलती है तो वह बैंक बदलने में तनिक भी संकोच नहीं करता है।

व्यवसाय, वाणिज्य, प्रशासन तथा बैंकिंग आदि के क्षेत्र में पत्र-व्यवहार के ऐतिहासिक विकास का प्रारम्भिक चरण धातु मुद्रा के प्रादुर्भाव तथा बाद में कागज़ की मुद्रा (पेपर मनी) तथा बैंकिंग प्रणाली के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें बदलाव आते गए। व्यवसाय में लगा श्रेष्ठ वर्ग शासन की वित्तीय सहायता करता था। प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री बर्नियार ने इस काल के साहूकारों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार, हुंडियों तथा करार-पत्रों को देखकर इन्हें यहूदी बैंकरों से अधिक व्यावहारिक एंव सक्षम माना है।

पत्र-व्यवहार की कला का सुव्यवस्थित विकास आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति तथा आधुनिक बैंकिंग प्रशासनिक पद्धति के विकास के साथ-साथ हुआ है। दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन-सम्पर्क के लिए संदेश वाहक सेवाएं शुरू की गई। पत्रों के माध्यम से संदेश भेजने की प्रक्रिया में स्थितियों एवं मामलों की विशेषताओं के अनुसार पत्र लिखे जाने लगे। इन्हीं से आज के पत्राचार में 'पत्र', 'मीमो' तथा 'परिपत्र' जैसे वर्गीकरण बने।

पत्र सम्प्रेषण के माध्यम हैं। पत्रों द्वारा हम लिखित रूप में दूसरों को अपनी भावनाओं, विचारों तथा निर्णयों के बारे में अवगत कराते हैं। अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि पत्र किस तरह लिखे जाएं कि स्पष्ट और प्रभावशाली सम्प्रेषण हो सके।

आधुनिक युग में सम्प्रेषण के कई साधन टेलीफोन/मोबाइल, फैक्स, ई-मेल, एस.एम.एस. आदि विकसित हो गए हैं। पर इनके बावजूद लोगों तक अपने विचार पहुँचाने का सबसे सहज तथा आत्मीय माध्यम आज भी पत्र-व्यवहार ही है। पत्रों द्वारा हम लिखित रूप में दूसरों को सम्बोधित करते हैं। पत्रों द्वारा हम अपनी बात अपने प्रयोजन के अनुरूप मनचाहे ढंग से संक्षेप या विस्तार में दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। पत्र-व्यवहार की यही विशेषता अभिव्यक्ति के इस साधन को आत्मीयता प्रदान करती है। सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं यथा पारिवारिक तथा निजी पत्र, सामाजिक पत्र और कार्यालयीन एवं व्यवसायिक पत्र।

कार्यालयीन एवं व्यावसायिक पत्र व्यवहार :

व्यावसायिक पत्र व्यवहार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आधुनिक युग में बैंकों और बीमा उद्योगों जैसे सेवादायी संस्थानों द्वारा व्यापार, वाणिज्य तथा वित्त व्यवहार के मामलों से संबंधित ग्राहकों, व्यापारियों, निर्माताओं, संस्थानों, कंपनियों व उनके देशी-विदेशी प्रतिनिधियों के बीच व्यावसायिक कार्य-व्यवहार के लिए किया जाने वाला पत्र-व्यवहार इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। व्यावसायिक पत्र एक ओर बैंकिंग जगत में वैयक्तिक प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं और दूसरी तरह ग्राहक के मन में बैंक के प्रति भरोसा भी पैदा करते हैं। उत्तम पत्र आधुनिक उद्योग एवं व्यापार का आधार भी कहे जा सकते हैं। नए-नए ग्राहकों तथा बाज़ारों से संपर्क बनाकर अपने उत्पाद/सेवाओं की मांग बढ़ाने में पत्र-व्यवहार लक्ष्यों की पूर्ति का माध्यम बनते हैं।

बैंकिंग पत्राचार को हम दो भागों में बांट सकते हैं :

1. **शासकीय पत्र :** बैंकिंग पत्राचार में शासकीय पत्राचार का अधिक प्रयोग होता है। बैंक अपने ग्राहकों, शाखाओं, कार्यालयों तथा इनमें कार्यरत अधिकारियों अन्य कार्यालयों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों आदि के साथ पत्र व्यवहार के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग करता है।

2. **अर्द्धशासकीय पत्र :** इन पत्रों का प्रयोग समान स्तर के अपने या किसी अन्य संस्था के अधिकारियों के बीच शासकीय कार्य-कलापों या सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। अर्द्धशासकीय पत्रों में शासकीय पत्र व्यवहार की औपचारिकता नहीं होती। अर्द्धशासकीय पत्र का प्रयोग बहुधा तब किया जाता है जब सामान्य रीति से किसी मामले पर कार्यवाही नहीं हो रही हो और सम्बद्ध अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से उस मामले की

ओर दिलाना आवश्यक हो। जैसे - किसी मामले में कार्यवाही में बहुत अधिक विलम्ब हो गया हो और अनुस्मारकों का संतोषजनक उत्तर न मिल रहा हो तो अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा सम्बद्ध अधिकारी का ध्यान दिलाते हुए उस पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा जा सकता है। अर्द्धशासकीय पत्र निजी तौर पर मैत्री भाव से लिखे जाते हैं। इनमें सामान्यतः 'प्रिय', 'प्रिय श्री' या 'आदरणीय' आदि से सम्बोधित किया जाता है और अधोलेख के रूप में 'आपका' का प्रयोग किया जाता है। नीचे पत्र लिखने वाले अधिकारी के केवल हस्ताक्षर होते हैं। इनमें नीचे पदनाम नहीं लिखा जाता। ये उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं यानी इनमें ज़्यादातर 'मैं' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

वाणिज्यिक/कार्यालयीन पत्र का स्वरूप एवं विशेषताएं

पत्र लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं इस पत्र का पाठक होता तो इसे पढ़कर मेरी प्रतिक्रिया क्या होती। कार्यालयी पत्राचार में सरल एवं कार्यालयी तथा कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। वाणिज्यिक/कार्यालयीन पत्र का एक सुनिश्चित स्वरूप होता है। वैयक्तिक पत्रों में लेखक को जो छूट होती है वह इन पत्रों में नहीं होती। पत्र के कुछ महत्वपूर्ण तत्व निम्नानुसार हैं :

1. आम तौर पर वाणिज्यिक पत्र, कार्यालय के पत्र-शीर्ष में लिखे जाते हैं जिसमें कार्यालय का नाम, पता, टेलीफ़ोन संख्या आदि मुद्रित किए जाते हैं। पत्र की संदर्भ संख्या व तिथि का भी उल्लेख किया जाता है।
2. पत्र पाने वाले का नाम व पूरे पते का उल्लेख किया जाता है।
3. पत्र का आरम्भ आवश्यक रूप से, पत्र पाने वाले के प्रति शिष्टाचार की दृष्टि से सम्मान तथा स्नेहसूचक सम्बोधन से करना होता है। सामान्यतः 'महोदय/महोदया' का ही प्रयोग किया जाता है। आवश्यकतानुसार 'प्रिय', 'आदरणीय' आदि विशेषण भी जोड़े जा सकते हैं।
4. अभिवादन के बाद विषय की ओर संकेत करते हुए एक शीर्षक देना चाहिए। आवश्यकता हो तो, प्राप्त करने वाले के किसी पूर्ववर्ती पत्र का संदर्भ भी दिया जा सकता है।
5. विषय-वस्तु पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। विषय के प्रवाह के अनुसार उसको अनुच्छेदों में बांटा जा सकता है।
6. विषय को पूरी तरह स्पष्ट करने के बाद समापन की ओर संकेत करते हुए एक वाक्यांश लिखा जाता है। जैसे - इसे वरीयता दें, कृपया पावती दें आदि।
7. पत्र की समाप्ति पर पाठक के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए प्रसंग के अनुसार भवदीय, आपका ही जैसे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
8. इसके बाद पत्र लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है और उसके नीचे अपना नाम तथा पदनाम लिखता है।
9. अगर पत्र के साथ कुछ संलग्नक (चेक, बिल, सूचना आदि) भी भेजे जाने हैं तो पत्र में नीचे बाईं ओर उनकी संख्या लिख दी जाती है।
10. पत्र की समाप्ति के बाद अगर कोई नई सूचना उसके साथ भेजनी है तो पत्र में नीचे 'पुनश्च' लिख कर उस सूचना को अंकित करके लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है।

पत्राचार की श्रेणी में कार्यालय आदेश एवं ज्ञापन भी आते हैं :

कार्यालय आदेश :

बैंकों में कार्यालय आदेश का प्रयोग कार्यालय से संबंधित सूचना को सम्पूर्ण कार्यालय अथवा संबंधित कार्यालयों/शाखाओं को एक साथ भेजने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है तो उसके कार्य को किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द करने के लिए अथवा किसी स्टाफ़-सदस्य की पदोन्नति, स्थानांतरण की सूचना अन्य कर्मचारियों को देने के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय के कर्मचारियों के मध्य कार्य के निष्पादन हेतु भी कार्यालय आदेशों का प्रयोग किया जाता है।

यह भी ध्यान रखा जाए कि कार्यालय आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं और सभी कार्यालय आदेश द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेज़ी में) रूप में जारी किए जाने अनिवार्य हैं।

कार्यालय आदेश प्रारूप :

1. सबसे ऊपर संदर्भ सं. तथा कार्यालय का नाम तथा नीचे दाईं ओर स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है।
2. इसके बाद 'कार्यालय आदेश' लिखा जाता है।
3. कार्यालय आदेश का सामान्य रूप, सूचना देने वाले पत्र के रूप में होता है।
4. ज्ञापन में उत्तम पुरुष अर्थात् 'मैं' और 'हम' का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है।
5. नीचे आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है।
6. सबसे नीचे बाईं ओर उन कार्यालयों तथा विभागों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें ये भेजे जाने हैं।

ज्ञापन : ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं :

1. विभागीय कर्मचारियों को सूचना देने के लिए।
2. संबंधित विभागों से आवश्यक सामग्री या कागज़-पत्र मंगवाने के लिए।
3. आवेदन-पत्र, नियुक्ति-पत्र आदि के संबंध में प्राप्त पत्रों के उत्तर देने के लिए।
4. ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें संबोधन या अधोलेख नहीं होता। नीचे केवल अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। पाने वाले का नाम और/या पदनाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ के बाईं ओर लिखा जाता है।

इसके अलावा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) भारत सरकार ने भारतवर्ष के भाषिक वर्गीकरण के अनुसार 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित बैंकों के कार्यालयों/शाखाओं, केन्द्र/राज्य सरकार के हिंदी पत्राचार के लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के साथ-साथ 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित बैंकों/कार्यालयों में अंग्रेज़ी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है।

हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपना अधिकांश पत्राचार हिंदी में ही करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस अति महत्वपूर्ण मद के आधार पर भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक की राजभाषा शील्ड की पात्रता मजबूत होती है। जिन अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी पर्याय नहीं मिल पाते आप उन्हें हिंदी में लिप्यांतरित कर लिख सकते हैं। आवश्यकता है थोड़ा प्रयास करने की।

- प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन-नवोन्मेष कार्य

नीलम मल्होत्रा

भाषा किसी भी देश की सांस्कृतिक, बौद्धिक आध्यात्मिक एवं मूल्योन्मुखी उपलब्धियों की अभिव्यक्तियों की सबल संवाहक होती है। भारत विविधताओं का देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से कच्छ तक आपको " कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी" चरितार्थ होते मिलेंगे। इतनी विविधताओं वाले देश में जहाँ हर प्रांत की अपनी भाषा है और हर भाषा की अपनी लिपि, अपना विज्ञान और साहित्य है ऐसे में अवश्य ही एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सके। भारत में सभी को इकटठा करने वाली एकमात्र भाषा राजभाषा हिंदी है। वर्तमान बैकिंग परिवेश में सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़कर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बैकिंग में नए-नए क्षेत्रों का समावेश हो गया है। वित्तीय समावेशन के तहत बैंक न केवल गाँवों में गहरी पैठ बैठाने के लिए चल पड़े हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र के ग़रीब तबके को भी बैंकों से जोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह वह क्षेत्र हैं जहाँ बिना राजभाषा हिंदी के बात बन ही नहीं सकती।

26 जनवरी 1950 से लागू भारत के संविधान की धारा 343 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि 15 वर्षो बाद यानि 26 जनवरी 1965 से संघ के उन सभी कार्यो में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा जिनमें पहले अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया और कुछ विशिष्ट कार्यो में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी रखा गया।

1976 में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किये गये, जिन्हें राजभाषा नियम 1976 कहा जाता है। ये नियम तमिलनाडू राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर लागू हैं। इन नियमों के अंतर्गत देश का भाषावार वर्गीकरण तीन क्षेत्रों में किया गया है अर्थात -

क्षेत्र "क" - हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उतरांचल, दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र अण्डमान निकोबार द्वीप समूह।

क्षेत्र "ख"-महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र।

क्षेत्र "ग" - उपर्युक्त राज्यों को छोड़कर, अन्य सभी राज्य तथा संघ शासित प्रदेश।

इन नियमों में नियम 5, 8(4), 10(4) और 12 प्रमुख हैं।

- नियम 5 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाए।
- नियम 8(4) के अंतर्गत जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं। ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को अपना संपूर्ण कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।
- नियम 10(4) में यह व्यवस्था है जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत स्टाफ़ को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें भारत के राज-पत्र में अधिसूचित किया जाए।
- नियम 12 के अंतर्गत कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसके संगठन/कार्यालय में अधिनियम व नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाये।

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व भारत सरकार, गृह-मंत्रालय के राजभाषा विभाग को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा नीति संबंधी आदेश व वार्षिक कार्यक्रम वित्त-मंत्रालय व भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से बैंकों को प्राप्त होते हैं।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता की जाती है जिनमें श्रेष्ठ निष्पादन वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

प्रमुख अपेक्षाएं :

- प्रधान कार्यालय में राजभाषा विभाग का गठन करना और विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कक्षों की स्थापना करना और राजभाषा अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केवल राजभाषा कार्य के लिए ही किया जाए।

- बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं शाखा स्तर पर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों का गठन किया जाए तथा प्रत्येक तिमाही में उनकी एक बैठक अवश्य आयोजित की जाए। इन बैठकों की अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख द्वारा की जानी अपेक्षित है।
- नगर स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में समुचित प्रतिनिधित्व करना।
- वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना।
- तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट भेजना जो समुचित रिकार्ड पर आधारित हो। रिपोर्टों पर समीक्षा/अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- बैंकों में एक उचित निरीक्षण प्रणाली हो ताकि एक वर्ष में एक बार समस्त शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण किया जाये।
- यह सुनिश्चित करना कि बैंकों में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो।
- बैंकों के जिन शाखाओं/कार्यालयों में 80 प्रतिशत स्टाफ़ को राजभाषा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाना।
- बैंकों में जिन शाखाओं/कार्यालयों में 80 प्रतिशित या अधिक कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं उन्हें नियम 8(4) में विनिर्दिष्ट करना और उन्हें अपना कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करना।
- हिंदी कार्यशालाओं/सेमिनारों व डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन व सहायक साहित्य का निर्माण करना।
- ''क'' क्षेत्र में शीर्षस्थ बैठकों सभी प्रकार की बैठकों में हिंदी का प्रयोग करना। शीर्षस्थ बैठकों में अन्य पक्षों के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग के पैरामीटर को भी एक मद के रूप में शामिल करना।
- कंप्यूटरों, इलैक्ट्रानिक उपकरणों और टाइपराईटरों में द्विभाषिक क्षमता की व्यवस्था करना और उपलब्ध क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करना।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों का समुचित रिकार्ड रखना और उनके उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देना। धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन-जिसमें परिपत्र/परिसंचारी पत्र, आदेश, नोटिस आदि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी जारी करना।
- रबड़ की मोहरों, सीलों, टोकनों, लेखन-सामग्री, उपहार-सामग्री, पत्र शीर्षों, नाम पट्टों, विजिटिंग कार्डों, लोगो आदि में हिंदी व अंग्रेज़ी का प्रयोग, जिनमें हिंदी-अंग्रेज़ी आगे-पीछे या हिंदी और अंग्रेज़ी ऊपर-नीचे हो। ''क'' क्षेत्र में बोर्ड द्विभाषिक और ''ख'' एवं ''ग'' क्षेत्रें में बोर्ड त्रिभाषी हों।
- प्रचार-सामग्री अंग्रेज़ी, हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करना और जारी करना। इसके अलावा नवोन्मेष कार्यक्रमों आदि में भी हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।
- प्रशिक्षण/साक्षात्कारों में हिंदी के प्रयोग का विकल्प दिया जाये।
- प्रशिक्षण में हिंदी का प्रयोग ''क'' क्षेत्र में सभी कार्यक्रमों में, ''ख'' क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यक्रमों में और ''ग'' क्षेत्र में यथासंभव/यथावश्यक कार्यक्रमों में हिंदी का प्रयोग करना।
- आंतरिक कार्य में हिंदी का प्रयोग-व्यक्तिगत फाइलों में हिस्ट्रीशीट/सर्विस रिकार्ड, रजिस्टरों, फार्मों, फाइलों में टिप्पणियों/नोट, फाइल कवरों में शीर्ष विवरिणयों, लिफ़ाफ़ों पर पतों में हिंदी का प्रयोग करना ''क'' और ''ख'' क्षेत्र के समस्त पत्राचार केवल राजभाषा हिंदी में ही किया जाना आवश्यक है।
- शाखा स्तर पर हिंदी का प्रयोग - हिंदी में फार्म भरना, खाते खोलना, पास बुकों/खाता विवरिणयों में हिंदी में प्रविष्टियाँ करना, ड्राफ्ट, जमा रसीदें आदि हिंदी में जारी करना, लैजरों, रजिस्टरों, पुस्तकों में हिंदी का प्रयोग, ग्राहक-सेवा व अन्य बैठकों के कार्यवृत्त हिंदी में जारी करना। निरीक्षण रिपोर्टों में हिंदी का प्रयोग करना।
- हिंदी-दिवस के अवसर पर समारोह/प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
- हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना तथा गोपनीय रिपोर्टों में इसका उल्लेख करना भी ज़रूरी है।
- पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की व्यवस्था।
- सामान्यतः निर्धारिज बजट का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों/पत्रिकाओं पर खर्च करना अनिवार्य है।
- हिंदी कंप्यूटरीकरण, शब्द-संसाधन के साथ-साथ डाटा बेस कार्य व सूचना संबंधी कार्य में भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।
- बैंकों के लेखा संबंधी कामकाज में अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाए।

आज बैंकों का अधिकांश कार्य हिंदी में हो रहा है और कंप्यूटर में हिंदी की काफी संभावनाएं हैं। बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के द्विभाषी साफ्टवेयर खरीद लिए गए हैं जिन्होंने कंप्यूटर को हिंदी में कार्य करने हेतु तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया है। शब्द संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग) संबंधी कार्यों हेतु कंप्यूटर के निरंतर बढ़ते प्रयोग को देखते हुए कई निजी संस्थाएं डॉस एवं विंडोज आधारित साफ़्टवेयर तैयार करने लगी हैं जिनके माध्यम से शब्द संसाधन कार्य करने के लिए कंप्यूटर को हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए अब कोई अलग से साफ़्टवेयर लोड करने की ज़रूरत नहीं हैं बल्कि एक ऐसा माध्यम यानि यूनिकोड प्रणाली द्वारा जिसमें आपको कंप्यूटर पर एक बार यूनिकोड एक्टिवेट करना है तथा उसके बाद आप हिंदी के अलावा कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम कर सकते हैं। इसमें आप ई-मेल भी भेज/प्राप्त कर सकते हैं तथा ई-मेल प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर में भी केवल यही एक प्रणाली एकटीवेट होती है तथा वह हमारी मेल बिना कोई फांट लोड किये पढ़ सकता है उसका प्रिंट ले सकता है तथा हमें मेल का जवाब भी दे सकता है। यूनिकोड एनकोडिंग को भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय मानक हैड्स से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी की तरह ही सरलता से कार्य करता है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाईट निर्माण आदि। यूनिकोड प्रणाली में तीन की-बोर्ड में काम करने का विकल्प भी उपलब्ध हैं -

क) इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड

ख) रेमिंग्टन की-बोर्ड

ग) फ़ोनेटिक की-बोर्ड

प्रतिस्पर्धात्मक युग में वर्तमान बैंकिंग ग्राहक उन्मुख बैंकिंग है। पहले ग्राहक बैंक के पास आता था अब बैंक ग्राहक के पास जा रहे हैं। बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बड़ी ही तेज़ी से हो रहा है। बैंकों ने इस क्षेत्र में निम्नलिखित प्रभावपूर्ण कदम उठाये हैं।

कई बैंकों की सभी और कुछ बैंकों की आंशिक शाखाएं सीबीएस प्रणाली के माध्यम से पारस्परिक रूप से जुड़ चुकी हैं। सीबीएस शाखाओं में कुछ कार्य हिंदी में हो जाते हैं ज़्यादातर बैंकों में सीबीएस के लिए ''इन्फोसिस का फिनकेल'' साफ़्टवेयर कार्य कर रहा है, जबकि कुछ बैंकों में अन्य कंपनियों के साफ़्टवेयर कार्य कर रहे हैं। सीबीएस में हिंदी के लिए ''स्क्रिप्ट मैजिक'' नामक साफ्टवेयर जो कि ट्रांसलेटिक साफ़्टवेयर है जिसमें हम इंग्लिश में इनपुट देकर हिंदी में आउटपुट ले सकते हैं। प्रत्येक बैंक को अपने भी द्विभाषी डाटा साफ़्टवेयर तैयार करने चाहिएं ताकि आवश्यकतानुसार उनका शाखाओं में प्रयोग किया जा सके। जिन शाखाओं को भविष्य में भी कंप्यूटरीकृत किया जाना है वहाँ आरंभ से ही द्विभाषी साफ्टवेयर इंस्टाल किये जायें।

इंटरनेट बैंकिंग के कारण कहीं भी, कभी भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

आरटीजीएस और ईएफटी प्रणाली के अंतर्गत बैंक निधि हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध है जिसमें शीघ्र फंड ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध है। सी.एम.एस. तथा एस.एफ.एम.एस. प्रणालियों के जरिए बाहरी चैकों का शीघ्र संग्रहण तथा एडवाइसेज/प्रेषण-कार्य को और कारगर बनाया गया है।

ए.टी.एम. सुविधा के कारण आज जहाँ ग्राहक-सेवा में परोक्ष सफ़लता मिली है, वहीं आहरण कार्य में कमी आने से स्टाफ़ का सदुपयोग अन्य कार्यों में किया जाने लगा है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने सी-डैक पुणे के सहयोग से अंग्रेज़ी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ स्तर की हिंदी सीखने के लिए ''लीला'' राजभाषा साफ़्टवेयर तैयार किया है।

''श्रुतलेखन '' राजभाषा एक स्पीकर इंडिपैंडेंट हिंदी स्पीच पहचान सिस्टम है जो बोली गई भाषा को डिजीटलाइज करके इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट एक स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट (यूनिकोड के अनुरूप) के रूप में देता है।

''मंत्र राजभाषा'' की सहायता से अंग्रेज़ी के परिपत्रों, कार्यालय ज्ञापनों आदि का हिंदी अनुवाद किया जा रहा है ''मंत्र राजभाषा'' इंटरनेट तथा स्टैंड अलोन दोनों वर्जनों में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ''गूगल ट्रांस्लेशन'' भी उपलब्ध है। जिसमें आप भाषा का चयन करके अंग्रेज़ी से हिंदी के अतिरिक्त बंगला, कन्नड, तमिल, तेलुगू और उर्दू में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। भारत सरकार की साईट पर 'ई महाशब्दाकोश' भी उपलब्ध है। इसमें अर्थ एवं संबंधित जानकारी शब्दों का उच्चारण तथा संबंधित जानकारी यूनिकोड फांट पर उपलब्ध है। वह दिन दूर नहीं जब हम अपने देश को सही मायनों में एक भाषा दे पाएंगे। वह भाषा होगी हमारी अपनी राजभाषा हिंदी।

आर.सी.सी., नई दिल्ली

हमें इन पर गर्व है।

नराकास के तत्वावधान में 'पंजाब नैशनल बैंक' द्वारा आयोजित पी.एन.बी. अखिल भारतीय (तृतीय) अंर्तबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता में 'ख' वर्ग में 'पंजाब नैशनल बैंक' के कार्यकारी निदेशक एवं महाप्रबंधक (राजभाषा) से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अजय अरोड़ा (प्र.का. जोख़िम प्रबंधन विभाग)।

कु. स्वागीता घोष, सुपुत्री श्रीमती मीता घोष (अधिकारी), शाखा भवानीपुर, कोलकाता ने बारहवीं कक्षा में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। पी.एस.बी. परिवार की ओर से हार्दिक बधाई तथा इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

कु. संजुगक्ता घोष, सुपुत्री श्रीमती मीता घोष (अधिकारी), शाखा भवानीपुर, कोलकाता ने बी. टेक तथा केट में 94.29 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। पी.एस.बी. परिवार की ओर से हार्दिक बधाई तथा इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

श्री सौरभ मंडल, सुपुत्र श्री देबब्रत मंडल (अधिकारी), शाखा भवानीपुर, कोलकाता ने आठवीं कक्षा में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। पी.एस.बी. परिवार की ओर से हार्दिक बधाई तथा इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

श्री पवन सिंह, सफ़ाई कर्मचारी शाखा बसंत एवेन्यु, अमृतसर ने बैंक के ग्राहक को उसकी खोई हुई बाली वापस कर ईमानदारी का परिचय दिया। पी.एस.बी. परिवार को श्री पवन सिंह की निष्ठा और ईमानदारी पर गर्व है।

शाखा हरि के पतन में कार्यरत कैशियर श्री आत्मा सिंह ने एक खाता धारक श्री हरमीत सिंह को बढ़े हुए एक लाख रुपए वापिस कर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। पी.एस.बी. परिवार को श्री आत्मा सिंह की सच्चाई और ईमानदारी पर गर्व है।

राजभाषा कार्यान्वियन में मानव संसाधन विकास विभाग की भूमिका

मनजीत सिंह भाटिया

मानव संसाधन जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखने वाली अवधारणा है। शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूँजी है। यह मानव पूँजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। यह प्रतिभाशाली और काम पर लगे हुए लोगों और संगठनात्मक सफलता के बीच की कड़ी को पहचानने का सूत्र है। यह उद्योग/संगठनात्मक मनोविज्ञान और सिद्धांत प्रणाली संबंधित अवधारणाओं से संबंद्ध है। इसका मूल अर्थ राजनीति अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से लिया गया है, जहाँ पर इसे पारंपरिक रूप से उत्पादन के चार कारकों में से एक श्रमिक कहा जाता था, यद्यपि यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर नए और योजनाबद्ध तरीकों में अनुसंधान के चलते बदल रहा है।

आधुनिक विश्लेषण इस बात पर ज़ोर देता है कि मनुष्य ''वस्तु'' अथवा ''संसाधन'' नहीं हैं, बल्कि एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है, मानव के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा और भाषा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। भाषा के बिना शिक्षा संभव नहीं है। पूरे देश को एकसूत्र में बांधने के लिए इसे निश्चित ही एक 'संपर्क भाषा' की आवश्यकता है, और वह भाषा निःसंदेह हिंदी हो हो सकती है। मानव संसाधन को पूर्ण व सही तरीके से प्रयोग में लाने के लिए ज़रूरी है कि उसके भावों को समझा जाए, उसके सामान्य भाषा में निर्देश दिए जाएं।

मानव संसाधन प्रबंधन किसी प्रतिष्ठान की सबसे मूल्यवान उन आस्तियों के प्रबंधन का कौशलगत और सुसंगत दृष्टिकोण है - जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं तथा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यापार के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान दे रहे हैं। ''मानव संसाधन प्रबंधन'' और ''मानव संसाधन'' शब्दों का स्थान मुख्यतः ''कार्मिक प्रबंधन'' शब्द ने ले लिया है, जो प्रतिष्ठान में लोगों के प्रबंधन में शामिल प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है।

सैद्धांतिक अनुशासन मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि कर्मचारी वे व्यक्ति हैं जिनके अलग-अलग लक्ष्य और ज़रूरतें हैं और उनके बारे में बुनियादी व्यापार के संसाधनों, जैसे फाईलों आदि की तरह नहीं सोचा जाना चाहिए। इस क्षेत्र में कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यह मानते हुए कि लगभग सभी कर्मचारी उद्यम में उत्पादकता के योगदान की इच्छा रखते हैं और उनके प्रयासों में मुख्य बाधा ज्ञान का अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण और प्रक्रिया की विफलताएं हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य किसी प्रतिष्ठान के प्रति कर्मचारियों को आकर्षित करने, उन्हें बरक़रार रखने और उनके प्रभावी ढंग से प्रबंधन के कौशलगत लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है।

मानव संसाधन प्रबंधन के शैक्षणिक सिद्धांत का मूल आधार यह है कि मनुष्य मशीन नहीं है इसलिए हमें कार्य-स्थल पर लोगों के आतंरिक अनुशासन की जांच की आवश्यकता है।

मानव संसाधन प्रबंधन कई प्रक्रियाओं में शामिल है।

- कार्यबल की परिकल्पना
- भर्ती (कई बार आकर्षण और चयन में विभाजित)
- कौशल प्रबंधन

- प्रशिक्षण और विकास
- कार्मिक प्रशासन
- मज़दूरी या वेतन में मुआवजा
- समय-प्रबंधन
- यात्रा-प्रबंधन (कभी-कभी एच.आर.एम. के बजाय लेखांकन को सौंपना)
- वेतन पंजी (भुगतान रजिस्टर कभी-कभी एच.आर.एम. के बजाय लेखांकन को सौंपना)
- कर्मचारी लाभ प्रशासन
- कार्मिक लागत की योजना बनाना
- निष्पादन-मूल्यांकन

मानव संसाधन प्रबंधन (एच.आर.एम.) के कार्यों में विभिन्न गतिविधियाँ, जिनमें मुख्य रूप से यह महत्वपूर्ण फ़ैसला है कि आपको कितने स्टाफ़ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है, भर्ती और बेहतरीन कर्मचारी प्रशिक्षण, उच्च कार्य - प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, प्रदर्शन के मुद्दों से निपटना और अपने कर्मचारियों और प्रबंधन के तरीकों को नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करना शामिल है।

इन सबके साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार का दायित्व भी मानव संसाधन विकास विभाग पर हैं। बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग राजभाषा विभाग को पूर्ण समर्थन देता है। समय-समय पर राजभाषा अधिकारियों का चयन किया जाता है। बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी की सुविधा प्राप्त हो तथा उन्हें उसका प्रशिक्षण दिया जाए। मानव संसाधन विकास विभाग सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटरों पर यूनीकोड उपलब्ध हो। कार्मिकों को हिंदी में कामकाज करने में प्रशिक्षण देने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार, गृह-मंत्रालय राजभाषा विभाग के सहयोग से केन्द्रीय संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलवाता है। इसके साथ-साथ शाखाओं में प्रयोग हेतु फिनेकल सॉफ़्टवेयर, जो हिंदी का है, उसे प्रत्येक कंप्यूटर में डलवाने में भी इसका योगदान है।

मानव संसाधन विकास विभाग तथा राजभाषा विभाग के साथ काम करने से राजभाषा कार्यान्वयन में आशातीत वृद्धि निश्चित है।

प्र. का. मानव संसाधन विकास विभाग
नई दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता वर्ष 2013-14

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विषयों पर मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। वर्ष 2013-14 की इस प्रतियोगिता के लिए निम्नानुसार तीन विषय रखे गए हैं :-

1. खाद्य सुरक्षा बिल - एक विवेचना
2. गाँवों का शहरों की ओर स्थानांतरण - वरदान या अभिशाप
3. भारतीय बैंकिंग का भावी स्वरूप

प्रतियोगिता मातृभाषा के अनुसार (1) हिंदी भाषियों (2) मराठी, पंजाबी तथा गुजराती भाषियों तथा अन्य ग़ैर हिंदी भाषियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी और प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार की राशि 11000/- रू. द्वितीय पुरस्कार की राशि 7000/- तथा तृतीय पुरस्कार की राशि 5000/- है। निबंध प्रेषित करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2013 है। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार 'रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड पुरस्कार वितरण समारोह' के अवसर पर दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के नियम व शर्तें जानने हेतु कृपया बैंक के राजभाषा विभाग का परिसंचारी पत्र संख्या 6/2013 देखें।

भारत माँ के भाल की बिंदी, अपनी हिंदी सबकी हिंदी

दिनेश कुमार गुप्ता

राजभाषा मास है, ''कम सेप्टेम्बर'' फिल्म का गीत गूंज रहा है, हिंदी की शान में कसीदे पढ़ने की परम्परा भी है। चाहे गंगा स्नान कर फिर से मनमानी करने की छूट समझें या फिर फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे आदि मनाने की विदेशी परम्परा का निर्वहन ताकि एक दिन उनसे मिल कर, याद कर शेष पूरे वर्ष में बिना किसी अपराध बोध के जो भी करना है कर सकें। कई आलोचक तो यह भी कहते हैं कि हिंदी का जितना उपयोग विभागों/संस्थाओं के रिटर्नो/मीटिंगों में दिखता है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है और संसदीय सीमितियाँ इस विषय में राजनीतिक इच्छाशक्ति को और बेहतर प्रतिबिम्बित कर सकती है।

तुर्की के कमाल पाशा का गौरवशाली उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने उसके स्वतंत्र होने पर तुर्की को राजभाषा बनाने में लगने वाले कई वर्षों के समय को नकार कर अगले दिन अल सुबह से ही तुर्की को राजभाषा बना दिया। हमने किंचित वह अवसर गंवा दिया, जब देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी का जश्न था, लोगों में त्याग एवं देश - प्रेम का जज़्बा था। वैदिक काल में संस्कृत, फिर पाली, मुगल काल में अरबी-फ़ारसी और उसके बाद से अंग्रेज़ी राजकीय काम काज की भाषा रही। राजभाषा हिंदी शासक वर्ग की भाषा नहीं बन सकी। वह राज़ मजदूर की भाषा बन कर रह गई प्रतीत होती है। पढ़े लिखे माता-पिता अपने नन्हें बच्चों को शरीर के विभिन्न अंगो की पहचान नोज़, आई, इयर, टंग, माउथ आदि बोल कर कराते हैं। नाक, आँख, कान, जीभ, मुँह आदि तो अनपढ़ों के लिए जान पड़ते हैं।

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। उसे समृद्ध, सशक्त और सर्वग्राहय बनाने का दायित्व उस भाषा-भाषी लोगों का ही है। आवश्यकता है कि हम सब हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में बोलने, लिखने व पढ़ने में गर्व महसूस करें। आवश्यकता है उन्हें रोज़ी-रोटी की भाषा भी बनाने की। भाषा छूटती है तो सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, रसखान हमें अभिभूत नहीं कर पाते, मौलिकता संस्कृति से दूरी बढ़ती है, हमारी विशिष्ट पहचान प्रभावित होती है। विदेश में हमें जब कोई भारतीय मिलता है तो आपस में अधिकांशतः हिंदी में बात होती है। और एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। दूसरों की माताएं कितनी भी गुणी, विदुषी व सुंदर क्यों न हो, दुनिया में सबसे अच्छी तो अपनी माँ ही होती है। गर्व तो हमें अपनी माँ पर ही होता है और होना भी चाहिए। अपनी माँ की तो बात ही अनूठी है।

बहुभाषी होना बहुत अच्छी बात है, विशेष कर भारत और विविधताओं वाले देश में, अनेकता में एकता वाले देश में। अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग बढ़ रहा है। एक समय के विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के होने और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महाशक्ति होने से इसको काफी बढ़ावा मिला है। परंतु रूस, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया आदि भी उन्नत और समृद्ध देश है और अपनी भाषा, सभ्यता व संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी वे अपना लोहा मनवा रहे है। हम भारतवासी इनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में निपुण होना एक विशेषता रहनी चाहिए, अनिवार्यता नहीं।

देश की स्वतंत्रता के 66 वर्षों बाद अभी भी हमारे उच्च/उच्चतम न्यायालयों में कामकाज हिंदी/अन्य भारतीय भाषाओं मे न होकर अंग्रेज़ी भाषा में ही होता है। वादी/प्रतिवादी क्या कहा जा रहा है, क्या तर्क दिया जा रहा है, समझ पायें तो भला, न समझें तो भी भला। अभी हाल में 'निर्भया' के प्रकरण में बहस/निर्णय को लेकर उसके परिजनों की समस्या हमने देखी है। बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। हमें अगर सफ़ल होना है तो ग्राहकों से उन्हीं की भाषा में संवाद करना नितान्त आवश्यक है। जनतंत्र और सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) की पूर्ण सार्थकता तो तभी है जब राजकाज आम आदमी की भाषा में ही उसके लिए किया जाए।

हिंदी भाषा और उसकी वर्णमाला अत्यंत वैज्ञानिक हैं। वर्तनी और उच्चारण में कोई विभेद नहीं, जैसा किसी ने बोला वैसा लिखा, जैसा लिखा वैसा पढ़ा सबने। सभी भारतीय भाषाओं की वर्णमाला एक सी है - अ, आ, इ, ई..........क, ख, ग, घ........, बस लिपि का अंतर है। हम सब एक है का कितना सटीक द्योतक है।

चुनौती बड़ी है, परंतु जैसा कि कहा जाता है - **''मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।''** यह गर्व का विषय है कि विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अख़बार दैनिक जागरण हिंदी का ही है। आइए! सब मिल कर कहें:

''मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती।
भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती।।''

- महाप्रबंधक एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी (सेवा-निवृत्त)

हिंदुस्तान की शान है हिंदी

परमजीत सिंह बेवली

भूमिका :

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि भारत की मुख्य पहचान उसकी राष्ट्र भाषा 'हिंदी' है तथा सभी देशों की अपनी-अपनी राष्ट्र भाषा है तथा सभी को अपने-अपने देशों में एक सम्मानजनक पद प्राप्त है। ठीक उसी तरह श्री सुभाष चन्द्र बोस ने जब 'जय हिन्द' का नारा दिया तब भारत के साथ 'हिन्द' शब्द जुड़ गया। जब हिन्द महासागर के लहरों की ध्वनि भी यही गूंज उत्पन्न करती है कि 'हिन्द' शब्द भारत से जुड़ा हुआ है तो हिंदी भाषा भारत से अलग कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाषा ही एक ऐसा साधन होती है जो लोगों को एकता के सूत्र में पिरो देती है।

हिंदी किस प्रदेश की भाषा है :

''देश की आशा-हिंदी भाषा''

''भारत माँ के भाल की बिंदी, हिन्दुस्तान की शान है हिंदी।
व्यक्तित्व का निर्माण है हिंदी, सभ्यता की पहचान है हिंदी।।''

हिंदी को हमारे देश में राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन हिंदी को किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सभी राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन सभी भाषाएँ हिंदी भाषा की छोटी बहनों की तरह हैं और इन सभी छोटी बहनों ने ही मिलकर हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा के पद पर विराजमान किया है। हिंदी भाषा को भारत देश के साथ-साथ अन्य देशों ने भी पूरी तरह अपनाया है। विश्व में हिंदी भाषा को अपनाने का प्रतिशत निम्न प्रकार से है - भारत 84 प्रतिशत, नेपाल 80 प्रतिशत, पाकिस्तान 80 प्रतिशत, फिजी 50 प्रतिशत, घाना 50 प्रतिशत, अमेरिका 4 प्रतिशत एवं कनाडा 4 प्रतिशत आदि।

हिंदी भाषा का स्वरूप विकास एवं वर्तमान स्थिति :

हिंदी भाषा का विकास दिन - प्रतिदिन बढ़ रहा है। हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 'हिंदी दिवस' अर्थात् 14 सितंबर को अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं। अनेक सेमिनार भी करवाए जाते हैं जिसमें हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान की जाती है। हिंदी भाषा को सरकारी एवं ग़ैर-सरकारी संस्थानों में अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

हिंदी भाषा भारत के कोने-कोने में आम बोल-चाल की भाषा के रूप में अपनाई जाती है। हिंदी एक बहुत ही सरल भाषा है। जिसके शब्दों को आसानी से अपनाया व बोला जा सकता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह हमारी प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संविधान की अनुसूची में सभी भाषाओं जैसे कश्मीरी, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी, मराठी, सभी भाषाओं को बराबरी व समान दर्जा प्राप्त है। सभी देशवासियों को हिंदी को राष्ट्र भाषा का सम्मान व दूसरे देश में जाकर हिंदी भाषा को ही प्रयोग में लाना चाहिए। हिंदी भाषा को एक दिन सम्मान देने की बजाय पूरे 365 दिन सम्मान देना चाहिए तथा उसे याद रखना चाहिए।

हिंदी भारत के चिंतन और दर्शन का मूल है। इसी के द्वारा भारत की आत्मा को पहचाना जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह स्वाभाविक था कि सरकार की राजभाषा और देश में शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का विकल्प निश्चित कर लिया जाए। भारत जैसे बहुभाषी देश में अखिल भारतीय स्तर पर भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए कोई संपर्क भाषा भी तय होनी ही चाहिए थी। संविधान सभा के भीतर और प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द प्रसाद की अध्यक्षता में 14 सितंबर 1949 को श्री कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। इस प्रकार 14 सितंबर सम्पूर्ण देश में हिंदी दिवस के रूप में राष्ट्रीय दिवसों 15 अगस्त, 26 जनवरी की भांति मनाया जाने लगा। हिंदी भविष्य में केन्द्र की राजभाषा और देश की संपर्क भाषा के तौर पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाती रहेगी। आज विश्व में हिंदी दिवस के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन एवं कार्यशालायें भी आयोजित की जा रही हैं। विश्व में भाईचारा मानवता तथा सौहार्द बढ़ाने में हिंदी ऐतिहासिक भूमिका निभा रही है।

हिंदी हमारी शक्ति है, कैसे ?

भाषा एक साधन है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। अगर हम सब अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से जुड़े रहेंगे तो कोई भी भाषावाद के नाम पर भारत को तोड़ नहीं पाएगा।

हिंदी ही है शान हमारी, हिंदी ही है जान हमारी।

सदा रहे एकता में हम सब, यही है बस शक्ति हमारी।।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने कहा था - ''अगर हमें हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है।'' आज़ादी के पैंसठ वर्षो में बापू की यह बात सत्य साबित हुई है। हिंदी का प्रयोग अब पूरे भारत में सम्पर्क भाषा के रूप में हो रहा है। हिंदी आज एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी उभर कर आई है। इस समय विश्व के लगभग एक सौ पचास विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। यूनेस्को की सात भाषायों में हिंदी को भी मान्यता मिली है।

भारत के इतिहास में 'हिंदी दिवस' का दिन एक गौरव का दिन है। भारत के संविधान में हिंदी को, सन् उन्नीस सौ उनचास (1949) में आज ही के दिन भारत की राजभाषा के रूप में पहचान मिली थी। भारत राष्ट्र में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विविधता के बीच एकता ही हमारे राष्ट्र की विशेषता है और हिंदी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था - ''भारतीय भाषाएं नदियाँ है और हिंदी महानदी।''

बोलने, लिखने और पढ़ने में हिंदी जितनी आसान है तथा सुनने में जितनी मधुर एवं वैविध्यपूर्ण है, उतनी ही परेशानियाँ उसके अस्तित्व और पहचान को लेकर हैं। समय-समय पर एक बात प्रायः सुनाई पड़ती रही है कि केन्द्र तथा सभी हिंदी प्रदेशों में प्रशासनिक शब्दावली एक होनी चाहिए, किंतु ऐसा है नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, स्वीकार की गई है।

हिंदी भाषा-भाषी राज्यों की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिल चुकी है। सभी हिंदी भाषी राज्यों की जनता द्वारा अपने प्रशासन संबंधी कार्यों को हिंदी में ही करने से हिंदी का महत्व स्वयं बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान में कम्पयूटर में अंग्रेज़ी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है। आधुनिक बदलते परिवेश में हिंदी-भाषा हमारा एक अहम् हिस्सा बनती जा रही है। हमें हिंदी बोलने पर शर्म महसूस करने के बजाए गर्व महसूस करना चाहिए। हम सब को अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए। प्राचीनतम समय से लेकर अब तक हिंदी में बहुत अधिक विस्तार हो चुका है और यही आशा है कि हिंदी को यही सम्मानपूर्वक दर्जा मिलता रहेगा।

भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करना हम सभी का संवैधानिक ही नहीं बल्कि नैतिक दायित्व भी है क्योंकि भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृति होने बाद हिंदी केवल साहित्यक क्षेत्र तक ही सीमित न रह कर देश की प्रशासनिक, न्यायिक तथा वाणिज्यक क्षेत्र की भाषा के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अतः हम सब अपने दिनचर्या में राजभाषा हिंदी का जितना अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही हम अपने देशवासियों से अपना सान्निध्य सुदृढ़ करेंगे।

जय हिन्द-देश की आशा-हिंदी भाषा।

- सर्विस शाखा, लुधियाना

संविधान : राजभाषा एक दृष्टि में

राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से भारतवर्ष का भाषिक वर्गीकरण

क - क्षेत्र - उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अंडमान-निकोबार एवं दिल्ली।

ख - क्षेत्र - महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एवं चण्डीगढ़ संघ राज्य

ग - क्षेत्र - आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, गोवा, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली, दमण-दीव, लक्षदीव, पाण्डिचेरी

बैंकों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की विशेष मदें

राजभाषा अधिनियम, 1963 के राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं :

1. ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेज़ी में भरे गए आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग- ड्राफ्ट।
2. पे-ऑर्डर/भुगतान आदेश
3. सभी प्रकार की सूचियाँ/विवरणी
4. मीयादी जमा-रसीदें
5. चेक-बुक संबंधी पत्र
6. चेक-बुक जारी करने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि
7. पेंशन कार्य
8. मस्टर रोल/उपस्थिति रजिस्टर में प्रविष्टि
9. डाक-डिस्पेच/प्राप्ति
10. पास-बुक
11. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा, ग्राहक सेवा संबंधी कार्य
12. नए खाते खोलना
13. लिफ़ाफ़ों पर पते लिखना
14. कर्मचारियों के यात्रा - भत्ते, छुट्टी आवेदन-पत्र/रजिस्टर, भविष्य निधि, आवास-निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य
15. बैठकों की कार्य-सूची/कार्यवृत्त
16. ग्राहक - सेवा समिति की मासिक बैठक
17. चिकित्सा संबंधी कार्य
18. स्टाफ़ के स्थानांतरण आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं

राजभाषा नियम 8(4) में कार्य विनिर्दिष्ट करना

'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित बैंक की जिन शाखाओं को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, उनमें कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिक निम्नलिखित कार्य हिंदी में करें :

1. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले पत्रादि।
2. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों आदि के उत्तर।
3. किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर।

गतिविधियाँ

उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के पश्चात् हमारी शाखा जोशीमठ द्वारा लगाया गया सहायता शिविर।

डॉ. फीरूजा पटेल, प्रोफ़ेसर (रेडियोथेरैपी) पी.जी.आई. चंडीगढ़, पीएसबी की महिला कर्मचारियों और आम जनता को ब्रेस्ट और सरविक्स कैंसर की जानकारी प्रदान करते हुए।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ सेवा हेतु पी.एस.बी. ग्रामीण स्वरोज़गार संस्थान के निदेशक श्री आर. एस. वालिया को पुरस्कृत करते हुए कैबिनेट मंत्री, श्री एस. एस. ढिल्लों, श्री जे. पी. जैन (विधायक मोगा), आई.ए.एस. श्री ए. एस. थिंद (डी.सी., मोगा) तथा आई.पी.एस., श्री एस. एस. ग्रेवाल (एस.एस.पी., मोगा)

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत गाँव मरोरी में राशि संवितरण योजना का उद्घाटन करते हुए श्री इकबाल सिंह भाटिया, (महाप्रबंधक) स्थानीय प्रधान कार्यालय चंडीगढ़ एवं श्री एस. एस. कालरा आंचलिक प्रबंधक (पटियाला)।

चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक में श्री इक़बाल सिंह भाटिया (महाप्रबंधक), स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़, राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए नराकास अध्यक्ष के हाथों राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए। चित्र में प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री राजिंदर सिंह बेवली भी दृश्यमान है।।

चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक के अवसर पर श्री इक़बाल सिंह भाटिया (महाप्रबंधक), स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़, के साथ अंतर बैंक प्रतियोगिता में विजेता स्टाफ - सदस्य।

आंचलिक कार्यालय लुधियाना द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता में आंचलिक प्रबंधक श्री जे. एस. भल्ला से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री पी. एस. बेवली, सर्विस शाखा लुधियाना।

पी.एस.बी. सेंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग द्वारा आयोजित 'स्क्रिप्ट मैजिक प्रशिक्षण' देते हुए श्रीमती इंदरपाल कौर, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)।